लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड २६, १९५९/१८८० (शक)

[२३ फरवरी से ५ मार्च १९५९/४ से १४ फाल्गुन १८८० (शक)]

2nd Lok Sabha

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

सातवां सत्र, १९५९/१८८० (शक)

(खण्ड २६ में अंक ११ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खण्ड २६, अंक ११ से २०—२३ फरवरी से ५ मार्च, १९५९/४ से १४ फाल्गुन १८८० (शक)

अंक ११—सोमवार, २३ फरवरी, १९५९/४ फाल्गुन, १८८० (शक)

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५१९, ५२०, ५४७, ५२१ से ५२६, ५२८, ५२९, ५३१, ५३२, ५३४, ५३५ और ५३७ . .	११९७—१२२१
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३	१२२२—२४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५२७, ५३०, ५३३, ५३६, ५३८ से ५४१, ५४३ से ५४६, ५४८ से ५६८	१२२४—३७
अतारांकित प्रश्न संख्या ६६६ से ६९१ और ६९३ से ७३४ . .	१२३७—७२
श्री बेदलपतला गंगाराजू का निधन—	१२७२
स्थगन प्रस्ताव—	
पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोली चलाया जाना . .	१२७२—७४
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . .	१२७४—७५
राष्ट्रपति से सन्देश . .	१२७५
राज्य-सभा से सन्देश	१२७५
चल-चित्र (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा-पटल पर रखा गया	१२७५
प्राक्कलन समिति—	
चौतीसवां प्रतिवेदन . . .	१२७६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
इंडियन स्टैन्डर्ड वैगन कम्पनी के कर्मचारियों का अस्थायी रूप से काम से अलग किया जाना	१२७६
तारांकित प्रश्न संख्या ४ के उत्तरों की शुद्धि	१२७६
विधेयक पुरःस्थापित किये गये . . .	१२७७
१. भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक . . .	१२७७
२. बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक	१२७७
कामगार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक	१२७७—८४
खण्ड २ से २० तथा १	१२७७—८१
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	१२८१—८४

पृष्ठ

वर्ष १९५८-५९ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) . . . १२८४—१३११

भारतीय आय-कर (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . १३१२—१८

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . १३१९—२५

अंक १२—मंगलवार, २४ फरवरी, १९५९/५ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६९ से ५७५, ५७७, ५८१, ५८३, ५८५, ५८६, ५८८, ५८९ और ५९३ . . . १३२७—५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५७६, ५७८ से ५८०, ५८२, ५८४, ५८७, ५९० से ५९२ और ५९४ से ६२१ . . . . १३५२—६७

अतारांकित प्रश्न संख्या ७३५ से ७९७ और ७९९ से ८४१ . . १३६७—१४१९

स्थगन प्रस्ताव के बारे में १४१९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १४१९

विनियोग विधेयक—पुर:स्थापित . . . १४२०

विशेषाधिकार समिति—

आठवां प्रतिवेदन . . . . . १४२०—२६

भारतीय आय कर (संशोधन) विधेयक . . १४२७—४०

विचार करने का प्रस्ताव . . . . १४२७—३९

खण्ड २ से ५ और १ . . . . . १४३९—४०

पारित करने का प्रस्ताव १४४०

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक— . . . . १४४०—५९

राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव . १४४०—५७

राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमति . . . १४५७—५९

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . १४६०—६६

पृष्ठ

अंक १३—बुधवार, २५ फरवरी, १९५९/६ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६२२ से ६३० और ६३२ से ६३४ — १४६७—९०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ — १४९१—९३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३१ और ६३५ से ६६२ . . १४९३—१५०६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८४२ से ९३४ — १५०६—४४

सभा-पटल पर रखे गये पत्र — १५४४-४५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पैंतीसवां प्रतिवेदन . . . १५४५

तारांकित प्रश्न संख्या ९४७ के अनुपूरकों के उत्तर की शुद्धि . १५४६

विनियोग विधेयक—

पारित — १५४६-४७

रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . . १५४७—८३

दैनिक संक्षेपिका . १५८४—९०

अंक १४—गुरुवार, २६ फरवरी, १९५९/७ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६६३ से ६७०, ६७२ और ६७४ से ६७८ . १५९१—१६१२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६७१, ६७३ और ६७९ से ७२१ . १६१२—३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३५ से ९४८ और ९५० से १०३१ — १६३७—७८

स्थगन प्रस्ताव के बारे में — १६७८-७९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र — १६८०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

राज्य व्यापार निगम द्वारा एक संस्था को कास्टिक सोडा देने से कथित इन्कार — १६८०

रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा — १६८१—१७२२

दैनिक संक्षेपिका . १७२३—२९

पृष्ठ

अंक १५—शुक्रवार, २७ फरवरी, १९५९/८ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७२२ से ७२५, ७२७, ७२९ से ७३४, ७३७, ७३८, ७४०, ७४३, ७४४, ७४७ और ७५१ . . . १७३१—५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७२६, ७२८, ७३५, ७३६, ७३९, ७४१, ७४२, ७४५, ७४८ से ७५०, ७५२, ७५४ से ७६२ . . १७५६—६४

अतारांकित प्रश्न संख्या १०३२ से १११०, १११२ और १११३ . १७६४—१८०२

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . १८०२—०३

विधेयक पर राय . . १८०३

राज्य-सभा से सन्देश . . . १८०३

लागत तथा निर्माण लेखापाल विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया १८०३

प्राक्कलन समिति—

पैंतीसवां प्रतिवेदन १८०३

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति —

बारहवां प्रतिवेदन . . . १८०३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

गंडक परियोजना के बारे में बिहार के सिंचाई मंत्री का वक्तव्य . १८०४

सभा का कार्य . . . . १८०४—०५

रेलवे आयव्ययक सामान्य चर्चा . . . . १८०५—२२

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

पैंतीसवां प्रतिवेदन १८२३

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता की दूसरी किस्त देने के सम्बन्ध में संकल्प—अस्वीकृत . . . . १८२३—४१

नये औद्योगिक एककों को अनुज्ञप्ति देने की नीति के सम्बन्ध में संकल्प . १८४१—४२

दैनिक संक्षेपिका . . . . १८४३—४९

अंक १६—शनिवार, २८ फरवरी, १९५९/९ फाल्गुन, १८८० (शक)

सामान्य आय व्ययक, १९५९–६० का उपस्थापन . . १८५१—७३

वित्त विधेयक—पुरःस्थापित किया गया १८७३

दैनिक संक्षेपिका . . १८७४

पृष्ठ

अंक १७—सोमवार, २ मार्च, १९५९/११ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७६३ से ७६७, ७६९, ७७१ से ७७३, ७७५ और ७७६ . . . १८७५—९९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . १८९९—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७६८, ७७४, ७७७ से ७९२, ७९४ से ७९६ और ७९८ से ८२० . . . . १८९७—१९१४

अतारांकित प्रश्न संख्या ११४ से ११९१ १९१४—४५

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . १९४५—४७

अनुपस्थिति की अनुमति . . . . १९४७—४८

सामान्य आयव्ययक पर चर्चा के बारे में प्रक्रिया . . १९४८

रेलवे आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . . १९४९—९२

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . १९९३—९८

अंक १८—मंगलवार, ३ मार्च, १९५९/१२ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२१ से ८२३, ८२५ से ८२८, ८३०, ८३१, ८३३, ८३५, ८३७ और ८४० से ८४३ . . १९९९—२०२४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२४, ८२९, ८३२, ८३४, ८३६, ८३८, ८३९, ८४४ से ८४७, ८४९ से ८६१ और ८६३ से ८७१ . . २०२५—४१

अतारांकित प्रश्न संख्या ११९२ से १२०१, १२०३ से १२५० और १२५२ २०४१—६७

स्थगन प्रस्ताव के बारे में २०६८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कराची में हुई भारत पाकिस्तान वार्ता . . . २०६८—६९

चलचित्र (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमति . . २०६९—७०

रेलवे आय-व्यय—सामान्य चर्चा . . . . २०७०—९०

अनुदानों की मांगें—रेलवे, १९५९-६० . . . . २०९०—२१२६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . २१२७—३१

अंक १९—बुधवार, ४ मार्च, १९५९/१३ फाल्गुन, १८८० (शक) पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७३, ८७६, ८८०, ८८४, ८८६, ८८७, ८९१, ८९३, ९२१, ८९४, ८९५, ९०१, ९०३, ९०४, ९०६, ९०८ और ९१० . २१३३—५५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ से ८ २१५५—६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७२, ८७४, ८७५, ८७७ से ८७९, ८८१ से ८८३, ८८५, ८८८ से ८९०, ८९२, ८९६ से ९००, ९०५, ९०७, ९०९, ९११ से ९२० और ९२२ से ९२४ . २१६१—७४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२५३ से १३७३, १३७५ से १३८७ . २१७४—२२२९

अतारांकित प्रश्न संख्या १७०८ दिनांक १७ १२-५८ के उत्तर में शुद्धि २२३०

स्थगन प्रस्ताव के बारे में २२३०

सभा-पटल पर रखा गया पत्र २२३१

राज्य-सभा से संदेश २२३१

प्राक्कलन समिति—

तेतीसवां प्रतिवेदन २२३१

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

छत्तीसवां प्रतिवेदन . २२३१

भारत का राज्य बैंक (सहायक बैंक) विधेयक—

पुरःस्थापित २२३२

अनुदानों की मांगें—रेलवे १९५९–६० २२३२—७२

दैनिक संक्षेपिका . २२७३—८०

अंक २०—गुरुवार, ५ मार्च, १९५९/१४ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९२५ से ९२९, ९३२ से ९३५, ९३७ से ९३९ और ९४२ २२८१—२३०२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ २३०२—०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३०, ९३१, ९३६, ९४०, ९४१, ९४३ से ९५७ और ९५९ से ९६३ २३०३—१२

अतारांकित प्रश्न संख्या १३८८ से १४८१ २३१२—५०

स्थगन प्रस्ताव के बारे में—

डॉक लेबर बोर्ड कलकत्ता में कर्मचारियों की मुअत्तली २३५१–५२

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . २३५२

राज्य-सभा से संदेश २३५३

रेलवे आय-व्ययक अनुदानों की मांगें, १९५९–६० . . . २३५३—२४१३

स्ट्रैप्टोमाइसीन तथा डीहाइड्रोस्ट्रैप्टोमाइसीन बनाने के लिये करार के सम्बन्ध में

प्रस्ताव . २४१४—२८

कार्य मंत्रणा समिति—

छत्तीसवां प्रतिवेदन २४१७

दैनिक संक्षेपिका २४२९–३५

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

388 (Ai) L.S.D.—12.

लोक-सभा

शनिवार, २८ फरवरी, १९५९

---

९ फाल्गुन, १८८० (शक)

लोक-सभा सायंकाल पांच बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

सामान्य आयव्ययक--१९५९-६० का उपस्थापन

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय वित्त मंत्री ।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: अध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार की १९५९--६० की अनुमित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करता हूं ।

देश की अर्थव्यवस्था में इस समाप्तप्राय वर्ष में जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई उनका विवेचन और उदय होने वाली आर्थिक प्रवृत्तियों का मूल्यांकन आर्थिक समीक्षा में किया गया है, जो बजट पत्रों के साथ प्रचारित की जा रही है । मैं आर्थिक स्थिति की संक्षिप्त समीक्षा ही करूंगा और सदन का ध्यान स्थिति के उन महत्वपूर्ण अंगों की ओर आकृष्ट करूंगा जिन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ।

पिछले वर्ष कृषि उत्पादन में इतनी कमी हुई जितनी १९५३-५४ के बाद कभी नहीं हुई थी । इसका प्रभाव चालू वर्ष में अन्न और खेती की दूसरी उपज पर पड़ा । औद्योगिक उत्पादनों के बढने की गति भी धीमी पड़ गयी और वर्ष के अधिकतर भाग में मूल्यों का रुख चढाव की ओर रहा । वर्ष की पहली छमाही में शोधन सन्तुलन (बैलेंस आफ पेमेण्ट) पर लगातार दबाव बना रहा । हाल के महीनों में स्थिति कुछ सुधर गयी है । खरीफ की फसल अच्छी हुई है और रबी की फसल के लक्षण भी बहुत कुछ अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मूल्य कुछ गिरे हैं और विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि का घटना रुक गया है । सच तो यह है कि हाल के सप्ताहों में इस निधि में थोड़ी सी वृद्धि हो गयी है पर कुल मिला कर कमी अभी बनी हुई है । आयोजना की शेष अवधि के लिए भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता और शोधन सन्तुलन के हिसाब में घटती जारी रह सकती है । कुल मिला कर, आर्थिक स्थिति कुछ महीने पहले की अपेक्षा कुछ अच्छी है । उसे सुधारने के लिए हमने जो विभिन्न उपाय किये हैं उनका परिणाम दिखाई दे रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

372 (Ai) LSD.—1.

[श्री मोरारजी देसाई]-

उत्पादन

जैसा मैंने अभी बताया है, अनुमान है कि इस वर्ष अन्न की फसलों तथा व्यापारिक (कमर्शल) फसलों दोनों दृष्टि से कृषि पदार्थों की उपज पहले से अधिक होगी। औद्योगिक उत्पादन में भी इस वर्ष वृद्धि हुई पर यह वृद्धि १९५७ की अपेक्षा धीमी गति से हुई। पर कुछ उद्योगों में, जैसे सूती कपड़े, तैयार इस्पात, मोटर गाड़ियों, बिजली के ट्रान्सफार्मरों और बनास्पती सम्बन्धी उद्योगों में, उत्पादन कम हुआ। खास कर मिल के बने कपड़े के उत्पादन में काफी कमी हुई। इसका उत्पादन, जो १९५७ में ५,३१७० लाख गज था, १९५८ में घटकर, ४,९००० लाख गज रह गया। विदेशी मुद्रा की वर्तमान कमी से पैदा होने वाले प्रतिबन्धों के कारण कुछ उद्योग कठिनाई में पड़ गये हैं। दूसरी ओर, कोयले, कच्चे लोहे (पिग आयरन), डीजल इंजनों, बिजली, मशीनी औजारों, अखबारी कागज आदि सम्बन्धी बहुत से उद्योगों तथा रासायनिक और इंजीनियरी सम्बन्धी कई उद्योगों में, उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह वृद्धि कुछ तो वर्तमान क्षमता के अधिक अच्छे उपयोग के कारण और कुछ पहले पूरा किये गये विस्तार कार्यक्रम के फलस्वरूप क्षमता बढ़ जाने के कारण सम्भव हुई है। जिन उद्योगों की उत्पादन क्षमता १९५८ में बढ़ी उनमें सिमेण्ट, कास्टिक सोडा, गंधकाम्ल (सलफ्यूरिक एसिड), सुपर फासफेट, आक्सिजन गैस और भट्टियों आदि के भीतरी आवरण तैयार करने के काम आने वाले द्रव्यों (रिफ्रैक्टरीज) सम्बन्धी उद्योग उल्लेखनीय हैं। सरकारी क्षेत्र में इस्पात कार्यक्रम प्रायः निश्चित ढंग से आगे बढ़ रहा है। इस वर्ष भारी इंजीनियरी निगम (हैवी एंजिनियरिंग कारपोरेशन) बनाकर भारी मशीनों के निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। यह निगम एक ढलाई कारखाना, एक गढ़ाई कारखाना, भारी मशीनें बनाने का एक कारखाना और खान खोदने की मशीनें बनाने का एक कारखाना खोलेगा। बिजली सम्बन्धी भारी सामान बनाने के लिये भोपाल में एक कारखाने के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है।

मुद्रा-सम्बन्धी प्रवृत्ति

इस वर्ष की मुद्रा सम्बन्धी स्थिति की महत्वपूर्ण विशेषता मुद्रा उपलब्धि की वृद्धि की गति का कम हो जाना है। सरकारी लेन देनों का मुद्रा बाहुल्यकारी प्रभाव विदेशी मुद्रा निधि में और गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा बैंकों से लिये गये ऋणों में कमी होने के मुद्रासंकोचकारी प्रभाव से घट गया। मुद्रा उपलब्धि में १९५६ में १३१.५ करोड़ रुपये और १९५७ में ९९.३ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, पर १९५८ में ७४.९ करोड़ रुपये की ही वृद्धि हुई। बैंकों की जमा रकमों की वृद्धि जारी रही पर बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों में वृद्धि अपेक्षाकृत कम हुई। इसलिये बैंक, ऋण और जमा के अपने अनुपात को घटाने में समर्थ हुए हैं। १९५७ के अन्त में यह अनुपात ६२.७ प्रतिशत था, पर १९५८ के अन्त में ५५ प्रतिशत रह गया। अनुसूचित बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से लिये गये ऋणों में कमी हुई है, जबकि बैंकों के पास की सरकारी प्रतिभूतियों (सिक्युरिटीज) की रकम में काफी वृद्धि हुई है। १९५८ के प्रायः अन्त तक मुद्रा बाजार में स्थिति अच्छी रही, पर उस समय अधिक कामकाज का मौसम आ जाने से ब्याज की दर बढ़ने लगी।

शेयर बाजारों में पिछले वर्ष की तुलना में स्पष्ट रूप से सुधार हुआ है। परिवर्तनीय लाभांशों वाली औद्योगिक प्रतिभूतियों (वैरिएबल डिविडेण्ड इण्डस्ट्रियल सिक्यूरिटीज) का मूल्य-सूचक अंक, जो १९५७ के अन्त में १२० था, बढ़ कर १९५८ के सितम्बर के अन्त में १४५ तक पहुंच गया। इस सूचक अंक में तब से कुछ कमी हुई है पर वर्ष भर में इसमें लगभग १४ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। केन्द्र और राज्यों द्वारा बड़ी रकमों के ऋण लिये जाने पर भी प्रतिभूतियों के मूल्य प्रायः स्थिर रहे हैं।

मूल्य

थोक मूल्यों का सूचक अंक एक वर्ष पहले १०६ के लगभग था, जो बढ़ कर ११२ के आसपास पहुंच गया है। पिछले सितम्बर में वह ११६.५ के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। सूचक अंक की इस वृद्धि का मुख्य कारण उत्पादन की कमी से अन्न के भावों का बढ़ जाना है। (दालों से भिन्न) अनाज के मूल्यों का सूचक अंक, जो दिसम्बर, १९५७ में ९८ था, बढ़ कर दिसम्बर १९५८ में १०५ हो गया और खाद्य पदार्थों के मूल्यों का सूचक अंक भी दिसम्बर, १९५७ से दिसम्बर, १९५८ तक की अवधि में १०४ से बढ़ कर ११३ हो गया। औद्योगिक कच्चे माल और निर्मित वस्तुओं जैसी जिन दूसरी चीजों के मूल्यों से थोक मूल्यों का सूचक अंक निकाला जाता है उनके मूल्य प्रायः स्थिर रहे हैं। श्रमिक वर्ग के रहन सहन के खर्च का अखिल भारतीय सूचक अंक दिसम्बर १९५७ से नवम्बर १९५८ तक की अवधि में ११३ से बढ़ कर १२२ तक पहुंच गया, पर खाद्यों का मूल्य घटने से दिसम्बर १९५८ में फिर ११९ तक गिर गया। प्रायः पिछले वर्ष की कम फसल के कारण खाद्य पदार्थों के मूल्यों में जो वृद्धि हुई उसके कारण चालू वर्ष के मूल्य सूचक अंक कुछ हद तक विकृत हो गये हैं।

शोधन-संतुलन

अब मैं देश की शोधन-सन्तुलन (बैलेंस आफ़ पेमेण्ट्स) सम्बन्धी स्थिति तथा दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के प्रारम्भ से सामने आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिये किये गये उपायों का संक्षेप में वर्णन करूंगा। हाल की घटनाओं का तथ्यात्मक विवरण ही काफी होगा; विस्तृत विवरण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समस्या पर, जिसकी ओर सरकार का ध्यान भी लगातार बना रहा है, संसद् ने भी एक से अधिक बार विस्तार से विचार किया है। दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के प्रायः प्रारम्भ से ही हम अपनी प्रारक्षित निधि से बड़ी बड़ी रकमें निकालते जा रहे हैं। अप्रैल १९५६ से फरवरी १९५९ तक की अवधि में इस निधि की रकम ७४६ करोड़ रुपये से घट कर २११ करोड़ रुपया रह गयी, अर्थात् उसमें ५३५ करोड़ रुपये की कमी हुई और यह कमी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से बड़ी रकमें और दूसरी काफ़ी विदेशी सहायता मिलने के बावजूद हुई। सभी जानते हैं कि इस कमी के कारण क्या हैं। इसका बहुत बड़ा कारण विकास कार्य के लिये विदेशों से मुख्यतः संयन्त्र, (प्लाण्ट) मशीनों और औद्योगिक कच्चे माल का अधिक मंगाया जाना है। अन्न और रक्षा सम्बन्धी साजसामान का बाहर से मंगाया जाना तथा निर्यात से होने वाली आमदनी का घट जाना भी इस कमी का कारण है। विदेशी व्यय को उस सीमा तक घटाने के लिए कि अर्थ-व्यवस्था भी संभली रहे और साथ ही आयोजना के सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग की प्रायोजनाएं भी कार्यान्वित हो सकें, तथा संसार की व्यापार सम्बन्धी कठिन परिस्थिति में निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये, कई उपाय किये गये। इन उपायों के कराण तथा मित्र देशों और अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से ऋण और उधार लेने के लिए किये गये प्रबन्ध के कारण प्रारक्षित निधि से रकमों की निकासी १९५७-५८ की तीसरी तिमाही से काफी कम हो गयी। १९५६-५७ में इस निधि से औसत मासिक निकासी २३.३ करोड़ रुपये की और १९५७-५८ की पहली छमाही में ३४.७ करोड़ रुपये की हुई; दूसरी छमाही में औसत मासिक निकासी कम हो गयी, अर्थात् १४.२ करोड़ रुपये की रह गयी। तब से स्थिति में और भी सुधार हुआ है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में प्रारक्षित निधि में १३.९ करोड़ रुपये की मासिक दर से कमी हुई। तीसरी तिमाही में निधि में कुछ वृद्धि हुई। उतार चढ़ाव को जाने दें तो कह सकते हैं कि पिछली छमाही में निधि प्रायः ज्यों की त्यों बनी रही।

१९५७-५८ की समाप्ति के समय शोधन सन्तुलन के चालू खाते में ४५१ करोड़ रुपये की कमी थी। इस वर्ष की चार तिमाहियों में १५० करोड़ रुपये, १४८ करोड़ रुपये, ७२ करोड़ रुपये और ८१ करोड़ रुपये की कमी रही। इस वर्ष का आयात पहले की सारी सीमाओं

[श्री मोरारजी देसाई]

को लांघ कर ११७५ करोड़ रुपये तक पहुंच गया और इस प्रकार उसमें इसके पहले के वर्ष की अपेक्षा ७९ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई । विदेशी मुद्रा संरक्षित करने के प्रयत्नों के बावजूद आयात में हुई वृद्धि का कारण कुछ तो यह है कि इस वर्ष पिछले दायित्वों के भारी बकायों की अदायगी करनी पड़ी और कुछ यह कि आयोजना के सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग को कार्यान्वित करने के लिये भारी परिमाण में आयात किया गया । इस वर्ष सरकारी आयात अधिक हुआ । यह आयात, जो १९५६–५७ में २०१.५ करोड़ रुपये का था, १९५७–५८ में बढ़ कर ४९२.८ करोड़ रुपये का हो गया । १९५७ के प्रारम्भ से आयात के कड़े नियंत्रण के लिये किये गये उपायों के कारण इस वर्ष गैर-सरकारी आयात में १२२.३ करोड़ रुपये की कमी हुई और वह ६८२ करोड़ रुपये का रह गया । कुछ निर्यात इस वर्ष ५९४.५ करोड़ रुपये का हुआ, अर्थात् उसमें १९५६–५७ की अपेक्षा ४० करोड़ रुपये की कमी हुई । इस कमी का कारण विदेशों की मांग का सामान्यतः घट जाना तथा विदेशी मण्डियों में मूल वस्तुओं के मूल्यों का गिर जाना है ।

देश के शोधन-सन्तुलन की प्रतिकूल प्रवृत्ति १९५८-५९ में बनी रही । इस वर्ष की पहली दो तिमाहियों में शोधन-सन्तुलन के चालू खाते में क्रमशः १२० करोड़ रुपये और ९१ करोड़ रुपये की कमी रही । चालू खाते में १९५८-५९ की पहली छमाही में हुई कुल २१०.८ करोड़ रुपये की कमी के मुकाबले विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में ८६.३ करोड़ रुपये की कमी हुई ; शेष रकम की पूर्ति विदेशी ऋणों और उधार से तथा अन्य पूंजी विषयक लेन देनों से की गयी ।

हाल के महीनों में स्टर्लिंग क्षेत्र, जिस का भारत एक सदस्य है, और मजबूत हो गया है तथा सोने और डालर की उस की प्रारक्षित निधि बढ़ कर नवम्बर १९५८ के अन्त में ३२,१५० लाख डालर तक पहुंच गयी ; सितम्बर १९५१ से निधि कभी इस स्तर तक नहीं पहुंची थी । दिसम्बर १९५८ में प्रारक्षित निधि में १४६० लाख डालर की कमी हुई जिस से वह ३०,६९० लाख डालर की ही रह गयी । पर इसका कारण अमेरिका और कनाडा के ऋणों पर वर्ष के अन्त में की गयी १९६० लाख डालर की अदायगी थी । यदि यह अदायगी न की जाती तो प्रारक्षित निधि में कुछ वृद्धि हुई होती । जैसाकि सदन को मालूम है, पश्चिमी यूरोप के कुछ देशों ने, जिन में ब्रिटेन भी हैं, २९ दिसम्बर १९५८ से अपनी मुद्रा की परिवर्तनीयता (कनवर्टिबिलिटी) पर लगाये गये प्रतिबन्धों को और ढीला करने की घोषणा की है । स्टर्लिंग क्षेत्र में न रहने वालों के पास का तथा उन के द्वारा प्राप्त किया गया स्टर्लिंग इस तारीख से विनिमय की सरकारी दर से बिना किसी रुकावट के बदला जा सकता है । माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि सितम्बर में माण्ट्रीयाल में हुए राष्ट्रमण्डलीय व्यापारिक और आर्थिक सम्मेलन में हम ने, उस म भाग लेने वाले अन्य देशों के साथ साथ, यह घोषणा की थी कि आवश्यक परिस्थितियों के उत्पन्न होते ही स्टर्लिंग की पूर्ण परिवर्तनीयता के लिये प्रयत्न करना हमारा लक्ष्य है ।

विदेशी सहायता

मैं ने १९ नवम्बर १९५८ को सदन में जो वक्तव्य दिया था उस में मैं ने उस सम्मेलन का उल्लेख किया था जिसे अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने अगस्त १९५८ में इसलिये आयोजित किया था कि उस में भारत की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति तथा इस बात पर विचार किया जाय कि भारत की सहायता किस प्रकार की जा सकती है । उस सम्मेलन के बाद, उस में भाग लेने वाले देशों और अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत को ३६ करोड़ डालर (१७१.४ करोड़ रुपये) की और सहायता देने का इरादा प्रकट किया । इस प्रकार हमें कनाडा १ करोड़ ७० लाख डालर के बराबर का अनुदान, पश्चिम जर्मनी ४ करोड़ डालर के बराबर का ऋण, जापान १ करोड़ डालर के बराबर

का ऋण, ब्रिटेन, पेंशनों के सम्बन्ध में हुए समझौते के अनुसार, १ करोड़ पौण्ड की अग्रिम अदायगी तथा २ करोड़ ८५ लाख पौंड का ऋण, अमेरिका विकास ऋण निधि से १० करोड़ डालर का ऋण और अन्तर्राष्ट्रीय बैंक, रेलों के लिये, ८ करोड़ ५० लाख डालर का ऋण देने के लिये तैयार हैं। उपर्युक्त अनुदान और ऋणों को प्राप्त करने का तरीका निश्चित किया जा चुका है और, जहां आवश्यक समझा गया, सम्बद्ध देशों के साथ करार कर लिये गये हैं।

चालू वित्त वर्ष में अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने, कलकत्ता और मद्रास बन्दरगाहों के विकास, तीसरी दामोदर घाटी निगम प्रायोजना और तीसरे रेल विकास कार्यक्रम के लिये कुल मिला कर १५ करोड़ ३० लाख डालर (७२.९ करोड़ रुपये) के चार ऋणों के लिये मंजूरी दी। हमारी भिन्न-भिन्न विकास प्रायोजनाओं के लिये स्वयं ऋणों की मंजूरी दे कर और, विदेशी मुद्रा सम्बन्धी हमारी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से किये जाने वाले, अपने कुछ सदस्य-देशों के सहकारितापूर्ण प्रयत्नों को गतिशील बना कर अन्तर्राष्ट्रीय बैंक इस दिशा में हमारा सब से बड़ा सहायक रहा है। अगले महीने ऐसा ही दूसरा सम्मेलन आयोजित करने का बैंक का विचार है जिस में इस बात पर विचार किया जायगा कि आयोजना के अगले दो वर्षों में आवश्यक विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में भारत की सहायता किस प्रकार की जा सकती है। अनुमान है कि कोयना प्रायोजना और रेल-विकास-कार्य कार्यक्रम के लिये अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से अतिरिक्त ऋण लेने के सम्बन्ध में आवश्यक बातचीत जल्दी ही शुरू हो जायगी।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि (इंटरनेशनल मोनटरी फण्ड) तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (इंटरनेशनल बैंक फार रिकंस्ट्रक्शन एण्ड डेवलेपमेंट) के प्रबन्धक-मंडलों (बोर्ड्स आफ गवर्नर्स) की पिछली वार्षिक बैठक की एक महत्वपूर्ण बात यह रही कि इस अवसर पर इन संस्थाओं के साधन बढ़ाने का निश्चय किया गया। निधि के सदस्यों का निर्धारित अंश (कोटा) आम तौर पर पचास प्रतिशत बढ़ा दिया गया है और ऐसे कुछ सदस्यों के निर्धारित अंश (कोटे) में तदर्थं और विशेष वृद्धि कर दी गयी है, जिन की मुद्रा अधिक परिमाण में रखना निधि के लिये लाभदायक होगा। इस तरह निधि में हमारा निर्धारित अंश (कोटा) ४० करोड़ डालर से बढ़ कर ६० करोड़ डालर हो जायगा। इस बढ़ी हुई रकम का चौथाई भाग हमें सोने के रूप में और तीन-चौथाई रुपया प्रतिभूतियों के रूप में चुकाना है। इस के लिये बजट में आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय बैंक का सम्बन्ध है वह अपनी जारी हिस्सा पूंजी (कैपिटल स्टाक) में १० अरब डालर की, और अपनी वर्तमान अधिकृत हिस्सा पूंजी में १ अरब डालर की वृद्धि ही कर रहा है। अतः इस में हमारा अंशदान ४० करोड़ डालर से बढ़ कर ८० करोड़ डालर हो जायगा। किन्तु इस संबंध में हमें अभी कोई अदायगी नहीं करनी होगी क्योंकि सदस्यों के अंशदान में होने वाली इस सामान्य वृद्धि की रकम "मांगी नहीं जायेगी" ; जारी हिस्सा-पूंजी में की जाने वाली इस वृद्धि का उद्देश्य केवल बैंक की ऋण लेने की क्षमता बढ़ाना है।

इस से पहले मैं उस सहायता का उल्लेख कर चुका हूं जो पिछले अगस्त में अन्तर्राष्ट्रीय बैंक द्वारा आयोजित सम्मेलन में भाग लेने वाले देश हमें दे रहे हैं। इस सहायता के अतिरिक्त हमें चालू वर्ष में अमेरिका, कोलम्बोचे-आयोजना वाले देशों और फोर्ड तथा राकफेलर फाउण्डेशनों से भी वित्तीय और प्रौद्योगिक (टैक्निकल) सहायता मिली है। इस वर्ष, पब्लिक का ४८० कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग १४० करोड़ रुपये के अन्न के आयात के लिये, अमेरिका की सरकार के साथ दो करार किये गये। इस प्रकार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हमें मिलने वाली सहायता, मूल्य की दृष्टि से, लगभग ३१३ करोड़ रुपये तक पहुंच जायगी। इस रकम में से १८३ करोड़ रुपया हमें ऋणों के रूप में और ४३ करोड़ रुपया अनुदानों के रूप में मिलेगा। यह रुपया परस्पर निश्चित विकास-

[श्री मोररजी देसाई

प्रायोजनाओं पर खर्च किया जायगा। अमेरिका की सरकार ने १९५१ के गेहूं ऋण की अदायगियां भी अगले ९ वर्षों के लिये स्थगित कर दी हैं जो हमें चुकानी थीं और इस तरह हमें प्रतिवर्ष ७० लाख डालर का सहारा मिल गया है। इस के अतिरिक्त, अमेरिका की सरकार ने जापान को कच्चा लोहा मिलने की उस मिलीजुली प्रायोजना के लिये भारत को २ करोड़ डालर ऋण देना स्वीकार कर लिया है, जिस के लिये जापान सरकार, कच्चे लोहे की खानों के विकास के हेतु ८० लाख डालर के बराबर का येन ऋण देगी। अन्य देशों में उर्वरक और नलकूप सम्बन्धी साज-सामान खरीदने और मलेरिया को जड़ से नष्ट करने के लिये भी कुल १ करोड़ ४२ लाख डालर की सहायता का प्रबन्ध हो गया है। कनाडा ने हमें गेहूं के रूप में ८० लाख डालर मूल्य का एक विशेष अनुदान दिया है और, गेहूं खरीदने के लिये ३ करोड़ ३० लाख डालर के दो ऋणों की भी मंजूरी दी है। आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड से भी हमें सहायता मिलती जा रही है।

अन्य मित्र देश भी हमारी सहायता करते जा रहे हैं। दवायें तैयार करने की एक नई प्रायोजना के निमित्त ऋण लेने के लिये रूस सरकार के साथ, जिस से हमें पहले ही भिलाई के इस्पात कारखाने और कुछ अन्य औद्योगिक प्रायोजनाओं के लिये सहायता मिल रही है, बातचीत जारी है। रूमानिया की सरकार के साथ एक करार किया गया है जिस के अनुसार हमें उस से, असम में स्थापित किये जाने वाले तेल साफ करने के एक कारखाने के लिये, विलम्बित अदायगियों के आधार पर लगभग ५.२ करोड़ रुपये मूल्य की मशीनें और टेक्निकल सहायता प्राप्त होगी। लगभग ८.५ करोड़ रुपये की लागत से ढलाई-गढ़ाई का एक कारखाना स्थापित करने के लिये चैकोस्लोवाकिया की सरकार ने भी एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं।

मैं उन सभी देशों और संस्थाओं के प्रति भारत सरकार का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने हमें विकास-कार्यों के लिये ठीक समय पर अत्यन्त मूल्यवान आर्थिक सहायता दी है।

हम स्वयं भी कोलम्बो-आयोजना के अन्तर्गत अन्य देशों के प्रौद्योगिक (टैक्निकल) सहायता देते जा रहे हैं। सितम्बर १९५८ तक हम ने दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशियाई प्रदेश से भारत आने वाले १०८६ व्यक्तियों की ट्रेनिंग का प्रबन्ध किया है। इस वर्ष हम ने बर्मा लंका (सीलोन) और वियतनाम को सात विशेषज्ञों की सेवायें सुलभ कीं। भारत द्वारा नेपाल को दी जानी वाली सहायता जारी है; नेपाल की सहायता करने के लिये विकास-योजनाओं पर और उस देश को प्रौद्योगिक (टेक्निकल) कर्मचारी देने पर इस वर्ष अनुमानतः १.३८ करोड़ रुपया खर्च किया गया।

बजट पत्रों में परिवर्तन

राजस्व और व्यय सम्बन्धी अनुमानों की चर्चा करने से पहले मैं ऐसे कुछ परिवर्तनों पर प्रकाश डालना चाहता हूं जो सदन के सामने प्रस्तुत किये गये बजट-पत्रों में किये गये हैं। कई वर्षों से रक्षा सेवाओं और डाक-तार विभाग की मांगें अलग-अलग और अपने आप में पूर्ण पुस्तकों के रूप में प्रस्तुत की जाती रही हैं। कुछ समय से यह विचार किया जा रहा था कि अन्य मंत्रालयों की मांगें भी इसी प्रकार प्रस्तुत की जायें। हाल ही में प्राक्कलन-समिति (एस्टिमेट्स कमिटी) ने भी यही सुझाव दिया कि अलग-अलग मंत्रालयों से सम्बद्ध अनुमान अपने आप में पूर्व पुस्तकों के रूप में पेश किये जाने चाहियें। यह सुझाव मान लिया गया है और इस वर्ष की अनुदानों की मांगें संसद के सम्मुख अलग-अलग मंत्रालयों के अनुसार प्रस्तुत की जा रही हैं। अनुदानों की मांगों के साथ प्रत्येक मंत्रालय के व्यय-अनुमानों और उस के नियंत्रण में कार्यान्वित होने वाली महत्वपूर्ण योजनाओं से सम्बद्ध

टिप्पणियां दी जा रही हैं। इन के साथ ही औद्योगिक प्रतिष्ठानों के तलपट और लाभ-हानि के विवरण आदि भी प्रस्तुत किये जा रहे हैं। इस प्रकार अब बजट का व्याख्यात्मक ज्ञापन राजस्व और व्यय के अनुमानों तथा पूंजी बजट की सामान्य समीक्षा और सम्पूर्ण रूप से बजट पर प्रकाश डालने वाले सामान्य और वित्तीय दृष्टि से महत्वपूर्ण विभिन्न अनु न्धों तक ही सीमित रह गया है। इस बार आर्थिक महत्व के तथ्य और आंकड़े बजट के साथ प्रस्तुत की जाने वाली आर्थिक समीक्षा में दिये जा रहे हैं जिन्हें पहले व्याख्यात्मक ज्ञापन में सम्मिलित किया जाता था। मुझे विश्वास है कि सदन इस परिवर्तन का स्वागत करेगा, क्योंकि इस प्रकार, सरकार के इतिहास में पहली बार भिन्न-भिन्न मंत्रालयों के अनुमान अलग अलग प्रस्तुत किये गये हैं जिस से सदन के लिये इन अनुमानों का निबटान सरल हो जायगा। हम इस बार अनुदानों की मांगों में आयोजना सम्बन्धी व्यय भी, पहली बार, आयोजना से भिन्न मदों पर होने वाले व्यय से अलग कर के दिखा रहे हैं। मैं समझता हूं कि खातों और अनुमानों में आयोजना सम्बन्धी व्यय को अलग कर देने से इस का नियंत्रण अधिक अच्छी तरह किया जा सकेगा। उपर्युक्त परिवर्तन करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि जहां तक सम्भव हो, संसद के लिए बजट के हिन्दी संस्करण में सुलभ की जाने वाली सामग्री किसी प्रकार की कमी न होने पाये।

वित्त वर्ष १९५८-५९

बजट में ७६७.९९ करोड़ रुपये की राजस्व-प्राप्ति का अनुमान किया गया था किन्तु सम्भावना यह है कि इस वर्ष वास्तविक आय ७२८.२० करोड़ रुपये की होगी, जबकि ७९६.०१ करोड़ रुपये के मूल अनुमान के मुकाबले राजस्व से किया जाने वाला व्यय ७८८.१५ करोड़ रुपया दिखलाया गया है। परिणामतः बजट में २८.०२ करोड़ रुपये का जो घाटा दिखलाया गया था वह बढ़कर ५९.९५ करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।

इस वर्ष राजस्व के घाटे में ३१.९३ करोड़ रुपये की वृद्धि का एक मात्र कारण अनुमान से कम राजस्व प्राप्त होना है। यह कमी अधिकांश में सीमा-शुल्क से होने वाली प्राप्तियों में है। अब अनुमान है कि इस वर्ष राजस्व में ३९.२२ करोड़ रुपये की कमी रहेगी। सीमा-शुल्क में ३४ करोड़ रुपये की कमी होने का अनुमान है; जान पड़ता है कि राजस्व पर आयात-नियंत्रण का कहीं अधिक कठोर प्रभाव पड़ा है और पुराने लाइसेंसों के आधार पर उतनी प्राप्त नहीं हुई जिसका पहले अनुमान किया गया था। और भी, इस वर्ष जिस पैमाने पर, निर्यात-शुल्कों में समायोजन किये गये हैं बजट बनाते समय उनकी कल्पना भी नहीं की गयी थी। केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों में अब ३.६१ करोड़ रुपये की कमी दिखलायी गयी है, जबकि सम्पत्ति-कर, व्यय-कर और दान-कर की प्राप्तियों में अनुमान की अपेक्षा ५.३ करोड़ रुपये की कमी रह जायगी। अनुमान है कि "पब्लिक-ला ४८० कार्यक्रम" के अन्तर्गत अमरीकी सरकार से मिलने वाले अनुदानों में १३ करोड़ रुपये और चलमुद्रा तथा टक्साल से होने वाली प्राप्तियों में १.८६ करोड़ रुपये की कमी रह जायगी, किन्तु पहले से अधिक ब्याज की प्राप्ति, निष्क्रान्त व्यक्तियों की सम्पत्ति की बिक्री की रकम तथा डाक और तार विभाग के अंशदान में ३.०४ करोड़ रुपये की वृद्धि होने से यह कमी न केवल बराबर हो जायेगी बल्कि प्राप्ति की रकम कुछ बढ़ जायगी।

अब अनुमान है कि इस वर्ष के असैनिक (सिविल) व्यय की रकम ५२१.२८ करोड़ रुपया होगी, जबकि मूल बजट में यह ५१७.८७ करोड़ रुपया रखी गयी थी और प्रतिरक्षा (डिफेंस) व्यय की रकम २६६.८७ करोड़ रुपया रह जायगी, जबकि मूल अनुमान २७८.१४ करोड़ रुपये का था।

[श्री मोरारजी देसाई]

असैनिक (सिविल) व्यय में ३.४१ करोड़ रुपये की वृद्धि, कई मदों में होने वाली घट-बढ़ का परिणाम है । ब्याज में २.०६ करोड़ रुपये की वृद्धि जिससे लोक-ऋणों के बढ़ते हुए परिमाण का पता चलता है; चलमुद्रा और टक्साल में ६४ लाख रुपये की वृद्धि जिसका कारण न चलने वाले सिक्कों को रद्द करने से होने वाली हानि के लिए अधिक धन की व्यवस्था है; केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों में से राज्यों के हिस्से में ४.०२ करोड़ रुपये की वृद्धि जिसका कारण इस वर्ष हिस्सेदारी वाले शुल्कों की प्राप्तियों में वृद्धि और पिछले वर्ष की कुछ रकम की इस साल अदायगी है और विविध व्यय में ११.३४ करोड़ रुपये की वृद्धि जिसका मुख्य कारण राज्य सरकारों को, अपने यहां के थोड़ा वेतन पाने वाले कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने के लिए, अतिरिक्त व्यय-भार उठाने में सहायता देने के लिए उन्हें की जानेवाली अदायगियों में ६ करोड़ रुपये की वृद्धि और निष्क्रान्त सम्पत्ति की रकम के—जिसे हिसाब में लेने से विस्थापित व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति के लिए किये गये पूंजीगत व्यय में कमी हुई है—अन्तरण के लिए की गयी व्यवस्था में ४.२७ करोड़ रुपये की वृद्धि का अनुमान किया गया है । विकास आयोजनाओं के लिए बाद में प्रयुक्त करने के लिए "पब्लिक-ला ४८० कार्यक्रम" के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान को विशेष विकास निधि में अन्तरित करने के लिए जो व्यवस्था की गयी है उसमें १३ करोड़ रुपये की बचत होने और "असैनिक (सिविल) प्रशासन" के अन्तर्गत रखे गये अनेक शीर्षकों के अन्तर्गत होने वाले व्यय में २.७३ करोड़ रुपये की कमी के कारण अतिरिक्त व्यय का एक अंश प्रतिसन्तुलित हो जायगा ।

प्रतिरक्षा-व्यय में ११.२७ करोड़ रुपये की कमी अधिकांश में स्थल-सेना और वायु-सेना के अनुमानों में है । सामान की खरीद पर अनुमान से कम खर्च होने की सम्भावना है; वायु-सेना के सम्बन्ध में भी कमी का कारण यह है कि विदेशों से हवाई जहाजों और दूसरे साज-सामान की खरीद पर, बजट बनाते समय किये गये अनुमान की अपेक्षा, कम खर्च होने की सम्भावना है ।

वित्त वर्ष १९५९-६०

अगले वर्ष के लिए, करों के वर्तमान स्तर के आधार पर, मैं बजट में ७५७.५१ करोड़ रुपये के कुल राजस्व और ८३९.१८ करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था कर रहा हूं जिससे राजस्व खाते में ८१.६७ करोड़ रुपये की कमी रह जायगी ।

आयात पर नियंत्रण बने रहने से सीमा-शुल्कों से होने वाली प्राप्तियों में गिरावट का रुख जारी रहने की सम्भावना है; अगले वर्ष के लिए मैं १३० करोड़ रुपये ले रहा हूं, जबकि चालू वर्ष का संशोधित अनुमान १३६ करोड़ रुपये का है । केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों से अगले वर्ष ५.८५ करोड़ रुपये की अधिक प्राप्ति होने की सम्भावना है । इसी प्रकार निगम (कारपोरेशन) कर और आयकर से ६.५ करोड़ रुपये की अधिक प्राप्ति की सम्भावना है । राजस्व के अन्य प्रधान शीर्षकों के अन्तर्गत चालू वर्ष की तरह अगले वर्ष भी प्रायः उतनी ही प्राप्ति होगी । इस प्रकार, सब मिलाकर, प्रधान शीर्षकों के अन्तर्गत ७.२ करोड़ की वृद्धि होगी । चालू वर्ष की अपेक्षा अगले वर्ष अन्य शीर्षकों की प्राप्तियां सब मिलाकर २५.२६ करोड़ रुपया अधिक होगी । यह तीन बड़े-बड़े परिवर्तनों का परिणाम है । पहला यह कि "पब्लिक-ला ४८० कार्यक्रम" के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले अनुदानों की रकम अनुमानतः १५ करोड़ रुपया होगी, जबकि इस वर्ष यह एक करोड़ रुपया थी । दूसरा यह कि रिजर्व बैंक के अगले वर्ष के लाभ की रकम ४० करोड़ रुपया दिखलायी गयी है, जब कि इस वर्ष ३० करोड़ रुपया थी । यह बिलकुल अस्थायी प्रबन्ध है; बाद के वर्षों में रिजर्व बैंक को जो स्थिर राशि अदा करनी चाहिए उसके बारे में बातचीत अगले वर्ष होगी । तीसरा यह कि सिक्के के चलन से होने वाले लाभ की रकम, जिसे अगले वर्ष में लिया गया है, १३.१५ करोड़ रुपया

होगी, जबकि इस वर्ष २.७५ करोड़ रुपया थी । इस वृद्धि का मुख्य कारण रुपया और छोटे सिक्कों के चलन से प्राप्त पिछले वर्षों की उन इकट्ठी अधिशेष रकमों से, जिन्हें उचन्त खाते डाल दिया गया था, १० करोड़ रुपये का अन्तरण है । १९५६ तक रुपया सिक्के के, चाहे वह चांदी का हो या निकल का, चलन से प्राप्त समस्त लाभ को उचन्त खाते में डालने और छोटे सिक्कों के चलन से प्राप्त शुद्ध लाभ को किसी उचन्त शीर्षक के अन्तर्गत जमा करने की प्रथा थी; राजस्व में केवल टक्सालें चलाने पर एक साल में खर्च होने वाली रकम ही, ४५ लाख रुपये की निश्चित राशि को मिलाकर, डाली जाती थी । यह पिछली व्यवस्था संसारव्यापी दूसरे महायुद्ध के समय इसलिए जारी की गयी थी कि राजस्व बजट पर, सिक्कों के चलन से होने वाले लाभ के उतार-चढ़ाव को बराबर किया जा सके। नियंत्रक महालेखा-परीक्षक के परामर्श से १९५६ में लेखापालन की इस व्यवस्था पर फिर से विचार किया गया और निश्चय किया गया कि १९५६–५७ से सिक्का-ढलाई के वास्तविक लाभ और अप्रचलित सिक्कों को रद्द करने से होने वाली हानि को सीधे राजस्व और व्यय के रूप में समायोजित कर दिया जाना चाहिए । उचन्त में पड़ी ५० करोड़ रुपये से अधिक की इकट्ठी रकमों को, घाटे का प्रभाव नष्ट करने वाली प्रारक्षित निधि के रूप में लिया जायगा और यद्यपि पहले इस निधि से वर्ष के अन्दर रुपया निकालने का विचार था, राजस्व के घाटे के परिमाण को देखकर मैंने बजट में इस स्रोत से १० करोड़ रुपये लेने का निश्चय किया है । ये वृद्धियां, राज्य व्यापार निगम के सिमेण्ट के अधिशेष खाते से होने वाली प्राप्तियों में ४.४१ करोड़ रुपये की कमी और इस्पात समकरण निधि की प्राप्तियों में ३.३१ करोड़ रुपये की कमी के कारण अंशतः सन्तुलित हो जायगी । डाक और तार विभाग के अंशदान में भी १.१८ करोड़ रुपये की कमी रहेगी । राजस्व खाते में जमा किये जाने वाले रेलों के अंशदान में भी ४२ लाख रुपये की कमी रहेगी । जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है, रेलें लगी हुई पूंजी पर चार प्रतिशत की बंधी दर से सामान्य राजस्व को लाभांश (डिविडेण्ड) देती हैं जिसे अंशतः राजस्व के रूप में समायोजित किया जाता है, किन्तु अधिकांशतः ब्याज के अन्तर्गत दिखलाया जाता है जिससे व्यय कम हो जाता है । रेलों से प्राप्त होने वाले लाभांश की रकम इस वर्ष के ५०.०३ करोड़ रुपये के मुकाबले अगले वर्ष ५४.४१ करोड़ रुपया होगी । इसमें से ४८.४३ करोड़ रुपया ब्याज के अन्तर्गत दिखलाया जायगा, जिससे व्यय में कमी हो जायगी और बाकी ५.९८ करोड़ रुपया राजस्व में डाल दिया जायगा ।

आय-कर, मृत सम्पत्ति शुल्क (इस्टेट ड्यूटी) और रेल यात्री किराया कर में से राज्य सरकारों को उनके हिस्से की अदायगी, इन करों के सम्बन्ध में राजस्व के अनुमानों के आधार पर, ९२.२२ करोड़ रुपया होगी, जबकि चालू वर्ष में ८९.०७ करोड़ रुपया थी । विभाज्य उत्पादन शुल्कों में से राज्यों के हिस्से के लिए व्यवस्था व्यय अनुमानों में की गई है ।

अगले वर्ष असैनिक (सिविल) व्यय की रकम ५९६.५ करोड़ रुपया और प्रतिरक्षा (डिफेंस) सेवाओं की २४२.९८ करोड़ रुपया होगी ।

असैनिक (सिविल) व्यय में ७५.२२ करोड़ रुपये की वृद्धि के मुख्य कारण संक्षेप में ये हैं :—
"पब्लिक-ला ४८० कार्यक्रम" के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान, जो पहले राजस्व में दिखलाकर विशेष विकास निधि में अन्तरित किये जाते हैं, बाद के खर्च के लिए इसी निधि के द्वारा प्रयुक्त किये जाते हैं । राजस्व के और दिखाये गये अनुमानों के अनुसार, अगले वर्ष इस अन्तरण के लिए १५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, जबकि इस वर्ष के संशोधित अनुमानों में १ करोड़ रुपये की व्यवस्था ब्याज पर होने वाला व्यय, जो बढ़ते हुए लोक ऋण के साथ बढ़ता जाता है, चालू वर्ष की अपेक्षा १५.८२ करोड़ रुपया अधिक होगा । प्रशासनिक सेवाओं, जैसे सामान्य प्रशासन (जनरल एड-मिनिस्ट्रेशन), लेखा-परीक्षा, न्याय-प्रशासन, जेल, पुलिस, परराष्ट्र विषय आदि पर, सब मिलाकर,

[श्री मोरारजी देसाई]

लगभग २ करोड़ ५० लाख रुपया अधिक खर्च होने की सम्भावना है। विकास और सामाजिक सेवाओं सम्बन्धी शीर्षकों के अन्तर्गत, जिनमें आयोजना-परिव्यय के लिए की जाने वाली व्यवस्था का एक बड़ा अंश सम्मिलित है, अगले वर्ष कुल १६८ करोड़ रुपया व्यय होने का अनुमान है, जबकि इस वर्ष की रकम १४५ करोड़ ७५ लाख रुपया है। सामुदायिक विकास के लिए भी इस वर्ष की अपेक्षा ६.१७ करोड़ रुपये की अधिक व्यवस्था की जायगी। अनुसूचित आदिम जातियों और क्षेत्रों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए राज्यों को अनुदान देने के लिए बजट में और अधिक धन की व्यवस्था की गयी है जिसकी कुल रकम लगभग ५ करोड़ ५० लाख रुपया है। मुख्यतः धन की इन बढ़ी हुई व्यवस्थाओं के ही कारण असैनिक (सिविल) व्यय में वृद्धि हुई है। दूसरे छोटे-छोटे परिवर्तनों के सम्बन्ध में विस्तृत व्याख्या व्यय-अनुमानों की टिप्पणियों में की गयी है जो "अनुदानों की मांगों" के साथ प्रचारित की गयी हैं।

प्रतिरक्षा (डिफेंस) सेवाओं पर शुद्ध व्यय के रूप में, चालू वर्ष की अपेक्षा अगले वर्ष २४.१९ करोड़ रुपया कम खर्च होगा। इस सुधार का कारण सम्पूर्ण व्यय में १९.५५ करोड़ रुपये की कमी और प्राप्तियों तथा वसूलियों में ४.६४ करोड़ रुपये की वृद्धि है।

स्थल सेना पर प्रायः उतना ही खर्च होगा जितना चालू वर्ष में हुआ है, किन्तु प्राप्ति की ओर एक विशेष मद में ५ करोड़ रुपये लिये गये हैं। रखवाली के खर्च की १४.५६ करोड़ रुपये की एक रकम, जो फालतू प्रतिरक्षा सामग्री से वसूल हुई थी, उचन्त खाते में पड़ी हुई है। यह रकम, जो वास्तव में राजस्व से किये गये व्यय की पूर्ति के रूप में है, यथार्थ में राजस्व खाते में जानी चाहिये। इसे तीन किस्तों में राजस्व में डालने का निश्चय किया गया है जिन का आरम्भ अगले वर्ष के बजट से किया जायेगा और इस के लिये ५ करोड़ रुपये की एक रकम ले ली गयी है।

नौ सेना के अनुमानों में, सामान्य विकास के लिये, १.८४ करोड़ रुपये की अल्प वृद्धि दिखलायी गयी है। वास्तविक बचत वायु-सेना के अनुमानों में हुई है जहां हवाई जहाजों, अतिरिक्त पुरजों और दूसरे साज सामान के खरीद की मद में अदायगी के लिये धन की कम व्यवस्था करने के कारण २३.८४ करोड़ रुपये की कमी हुई है, क्योंकि इस काम के लिये काफी बड़े हिस्से की अदायगी चालू वर्ष में हो जायेगी। सेना सम्बन्धी पेंशनों पर २ करोड़ रुपया अधिक खर्च होगा, क्योंकि इस वर्ष जिस प्रकार असैनिक (सिविल) पैंशन भोगियों की पैंशन की रकमों में वृद्धि की गयी है उसी प्रकार कम पैंशन पाने वाले सैनिक व्यक्तियों की पैंशनों में भी वृद्धि करने का विचार है।

पूंजी परिव्यय

अब मैं पूंजी परिव्यय के लिये बजट में की गयी व्यवस्था का संक्षिप्त विवरण दूंगा।

विशेष विकास निधि के लिये, जिसे पूंजीगत व्यय माना जाता है, अमेरीका से प्राप्त होने वाली पूंजीगत सहायता के अन्तरण से सम्बन्ध रखने वाले समायोजन को छोड़ कर, चालू वर्ष के बजट में पूंजी परिव्यय के लिये ४१२ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस प्रयोजन की रकम अब अनुमानतः ३९५ करोड़ रुपया होगी। अनुमान है कि रेलें अपनी पूंजीगत आवश्यकताओं के लिये, जिन का व्यय उन की विकास तथा मूल्यह्रास प्रारक्षित निधियों से नहीं लिया जाता, १८ करोड़ रुपया कम निकालेंगी। तीनों इस्पात प्रायोजनाओं में १४ करोड़ रुपया कम लगाया जायेगा, क्योंकि इस कम निवेश (इन्वेस्टमेण्ट) से हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में, सामान्य हिस्सों के रूप में ३०० करोड़ रुपये का कुल निवेश पूरा हो जायेगा। बाकी रुपया कम्पनी को ऋण के रूप में दिया जायेगा। अन्न की

खरीद पर २४.२६ करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होने की सम्भावना है। यदि स्टर्लिंग पेंशन-व्यवस्था के अन्तर्गत ब्रिटिश सरकार से पेशगी अदायगियों के रूप में १३.३३ करोड़ रुपये (१ करोड़ पौण्ड) की अतिरिक्त राशि न मिलती हो, तो सम्पूर्ण पूंजी-परिव्यय की राशि उस राशि से भी बड़ी होती जिस का मैं ने उल्लेख किया है।

अगले वर्ष के पूंजी परिव्यय के लिये ४२० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इस में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि को, अतिरिक्त अंशदान के रूप में अदा करने को ९५.२४ करोड़ रुपये की वह रकम भी शामिल है जिस की कुछ विस्तृत चर्चा मैं पहले कर चुका हूं। इस वर्ष के १२१ करोड़ रुपये के मुकाबले रेलें अगले वर्ष १२२ करोड़ रुपया निकालेंगी। प्रतिरक्षा पूंजी परिव्यय की रकम अनुमानतः ३२.७४ करोड़ रुपये होगी, जो चालू वर्ष की रकम से लगभग ५ करोड़ रुपया अधिक है। डाक और तार विभाग के पूंजी परिव्यय में अनुमानतः ४ करोड़ २५ लाख रुपये की वृद्धि होगी और अन्न की खरीद के शुद्ध (नैट) पूंजी परिव्यय में २ करोड़ रुपये की वृद्धि हो सकती है। विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों में रुपया लगाने और असैनिक (सिविल) उड्डयन, असैनिक (सिविल) निर्माण-कार्यों, दण्डकारण्य प्रायोजना तथा विकास अनुदानों के लिये अधिक धन की व्यवस्था की गई है। कुल रकम, जो अधिकांश में विकास योजनाओं अथवा अनिवार्य व्यय के लिये है, और भी बड़ी होती, यदि, जैसा कि पहले बता चुका हूं, इस्पात कारखानों की कुल आवश्यकता को ऋणों से पूरा करने का विचार न किया जाता।

सरकार की पूंजी विषयक आवश्यकताओं का रूप स्पष्ट करने के लिये ऋणों और अग्रिमों से सम्बन्ध रखने वाली व्यवस्था का उल्लेख भी आवश्यक है। अगले वर्ष राज्यों को, अधिकांशतः उन की विकास सम्बन्धी योजनाओं के लिये ३१३ करोड़ रुपये के ऋण दिये जायेंगे, जब कि इस वर्ष ३२७ करोड़ रुपये दिये गये थे। इस के अतिरिक्त पत्तन न्यासों (पोर्ट ट्रस्ट), विधिसम्मत निगमों (स्टेटुटेरी कारपोरेशन) सरकारी कम्पनियों आदि को इस वर्ष १२३ करोड़ रुपया और अगले वर्ष २१२ करोड़ रुपया दिया जायेगा। हिन्दुस्तान स्टील को इस वर्ष ५२ करोड़ रुपये और अगले वर्ष १२२ करोड़ रुपये का अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है। रेलें भी अपनी विकास निधि के लिये इस वर्ष १०.९८ करोड़ रुपये और अगले वर्ष १०.८८ करोड़ रुपये का ऋण लेंगी जो बाद में अदा किये जायेंगे। दिये जाने वाले विभिन्न ऋणों का ब्यौरा व्याख्यात्मक ज्ञापन में है।

सम्भवतः सदन जानना चाहेगा कि आयोजना को क्रियान्वित करने के लिये बजट में कुल कितने धन की व्यवस्था की गयी है और अगले वर्ष सम्पूर्ण आयोजना परिव्यय का विस्तार कितना होगा। आयोजना को क्रियान्वित करने के लिये बजट में कुल ८४३ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है राजस्व बजट में १५० करोड़ रुपये की और पूंजीगत बजट में ६९३ करोड़ रुपये की। इस में से ६३ करोड़ रुपया राजस्व बजट से और १९५ करोड़ रुपया पूंजीगत बजट से राज्यों को सहायता के रूप में दिया जायेगा। इस के अलावा रेलें अपने साधनों से ३९ करोड़ रुपया और राज्य २३९ करोड़ रुपया खर्च करेंगे। इस प्रकार सम्पूर्ण पुंजी परिव्यय की राशि, जिस में नदी घाटी योजनाओं के उन ऋणों का, जो निर्माण की अवधि में पूंजी में जोड़े जाते ह, ब्याज और थोड़ी अवधि के ऋण भी सम्मिलित हैं, १,१२१ करोड़ रुपया होगी।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, देश के आन्तरिक और विदेशी साधनों पर पड़ने वाले दबाव को देखते हुए आयोजना के पंचवर्षीय परिव्यय को ४,५०० करोड़ रुपये तक सीमित कर देने का निश्चय किया गया है। आयोजना के पहले तीन वर्षों में लगभग २,४५० करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है, जिस से अगले दो वर्षों के लिये २,०५० करोड़ रुपया बचेगा। जैसा कि मैं ने अभी बतलाया है, केन्द्र और राज्यों के लिये बजट में १,१२० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। साधनों सम्बन्धी स्थिति अगले दो वर्षों तक कठिन बनी रहेगी और विकास के लिये प्राप्य साधनों को बढ़ाने के लिये

[श्री मोरारजी देसाई]

और भी अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा। हमारे सारे प्रयत्न के बावजूद, राष्ट्रीय आय का, राज कोष में प्राप्त होने वाला, भाग अभी कम है। हमें विदेशों से जो काफी सहायता मिल रही है उस से दूसरी आयोजना अधिकतर भाग तो पूरा हो जायेगा, पर साथ ही हमें यह भी याद रखना है कि हमें तीसरी आयोजना की अवधि में बड़ी बड़ी रकमें चुकानी पड़ेंगी। इस से उत्पादन और बचत को दृढ़तापूर्वक बढ़ाने की आवश्यकता होगी।

तीसरी आयोजना के सम्बन्ध में विचार किया जाने लगा है। स्पष्टतः लक्ष्य, यही होना चाहिये कि दूसरी आयोजना के अन्त तक देश विकास की जिस गति तक पहुंच जाये उसे आगे और भी तेज करने के लिये भरसक प्रयत्न किया जाय। मेरे विचार से आयोजना के आकार-प्रकार के सम्बन्ध में अटकल लगाना असामयिक होगा; क्योंकि उस के सम्पूर्ण आकार-प्रकार, निर्धारित धन-राशियों, साधन जुटाने के तरीकों तथा आवश्यक और प्राप्य विदेशी सहायता सम्बन्धी प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उन सब पर विचार किया जा रहा है। पर स्पष्ट है कि हमें इस बात को निश्चित करने के लिये हर उपाय ढूंढ़ निकालना चाहिये कि तीसरी आयोजना से हम पक्के तौर पर आगे बढ़ें, न कि देश विकास के उसी धरातल पर पड़ा रहे जहां वह पहले पहुंच चुका हो। हमें अर्थव्यवस्था के अन्दर ऐसी स्थिति पैदा करनी पड़ेगी जिस से विकास का कार्य लगातार चलता रहे और उस में आत्म-निर्भरता भी आ जाये।

अर्थोपाय

चालू वर्ष के लिये अब २५५ करोड़ रुपये के सम्पूर्ण घाटे का अनुमान किया गया है, जब कि बजट में २०० करोड़ रुपये का अनुमान किया गया था। ५५ करोड़ रुपये की वृद्धि के कई कारण हैं। अब अनुमान है कि बजट अनुमान की अपेक्षा राजस्व में ३२ करोड़ रुपये की और भी कमी पड़ेगी जिस का कारण मैं अपने भाषण के प्रारम्भिक भाग में बता चुका हूं। कई कारणों से विदेशी ऋण सहायता में, उस रकम को देखते हुए जिसे हिसाब में लिया गया था, ४६ करोड़ रुपये की कमी रह सकती है। हमें राज्यों को कुल ४२ करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋण देने पड़े, जो मुख्यतः उन ऋणों की बकाया रकमों के रूप में थे जिन के लिये उन से वायदे किये जा चुके थे और हिन्दुस्तान स्टील को ५२ करोड़ रुपये देने पड़े। अनुमान है कि खाद्य सम्बन्धी देनदारी में भी, बजट व्यवस्था की अपेक्षा २४ करोड़ रुपये की वृद्धि हो जायेगी। किन्तु इन सब कारणों से होने वाली १९६ करोड़ रुपये की वृद्धि विविध ऋणों की व्यवस्था में कुछ बचत होने, आन्तरिक ऋणों (उधार) से अधिक प्राप्ति होने और बहुसंख्यक शीर्षकों के अन्तर्गत व्यय में संभावित कमी से आँशिक रूप से प्रतिसन्तुलित हो जायेगी। परिणाम यह होगा कि राजकोष हुण्डियों के विस्तार से पूरे किये जाने वाले शुद्ध घाटे की रकम सम्भवतः २५५ करोड़ तक पहुंच जायेगी ।

चालू वर्ष में लोक-ऋण सम्बन्धी स्थिति पिछले दो तीन वर्षों की अपेक्षा कहीं अधिक सन्तोषजनक है। बजट में १४५ करोड़ रुपये के बाजार ऋण का अनुमान किया गया था, किन्तु प्राप्ति २०२ करोड़ रुपये की हुई। इस वर्ष तीन नये ऋण जारी किये गये—३$^1/_2$ प्रतिशत बन्ध-पत्र (बाण्ड) १९६३, ३$^1/_4$ प्रतिशत राष्ट्रीय आयोजना बन्ध-पत्र (पांचवां क्रम) १९६८ और ४ प्रतिशत ऋण १९७३ और इन की परिपक्कता में इतना विस्तार है कि उस से बाजार की विविध प्रकार की आवश्यकतायें पूरी हो सकेंगी। तीनों ऋणों की प्रस्तावित राशि १३५ करोड़ रुपया थी, किन्तु प्राप्ति हुई १४२ करोड़ रुपये की इतने पर भी पूंजी निवेश (इन्वेस्टमेन्ट) के लिये बाजार की मांग बनी ही रही, इसलिये हमने अगस्त १९५८ में ३० करोड़ रुपये का, नया ३$^1/_2$ प्रतिशत ऋण, १९६८, जारी किया और ३० करोड़ रुपये का एक और ३$^1/_2$ प्रतिशत राष्ट्रीय आयोजना बन्ध-पत्र (ऋण) १९६७ जारी किया। प्रचलित प्रथा के

अनुसार ये प्रतिभूतियां (सिक्यूरिटियां) रिजर्व बैंक को बाजार में बेचने के लिये दे दी गयीं। इस वर्ष नियमित ऋणों से १८१ करोड़ रुपया प्राप्त होगा, जब कि मूल अनमान १२५ करोड़ रुपये का था।

राजकोष हुंडियों के द्वारा थोड़े समय के पूंजी निवेश के लिये बाजार ने फिर से मांग की जिस का स्वागत किया गया और दो वर्ष से भी अधिक समय के बाद रिजर्व बैंक ने राजकोष हुंडियों की साप्ताहिक नीलाम फिर से आरम्भ कर दिया। उस ने मध्यवर्ती (इन्टरमीजिएट) राजकोष हुंडियों को बिक्री की प्रणाली को भी फिर से जारी किया। यह प्रथा पन्द्रह वर्ष से भी अधिक समय से बन्द थी। अनुमान है कि चालू वर्ष के अन्त तक जनता के पास जो कुल अपरिशोधित (आउटस्टैंडिंग) राजकोष हुंडियां होंगी उन की रकम २५ करोड़ रुपया होगी।

छोटी बचतों के अन्तर्गत बजट में १०० करोड़ रुपये की शुद्ध प्राप्ति दिखलायी गयी थी। यह अनुमान अतिशय मंगलवादी सिद्ध हुआ है और, यद्यपि पहले के वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष संग्रह में कुछ वृद्धि हुई है, शुद्ध संग्रह की रकम बजट में दिखलायी गयी रकम के आसपास भी न पहुंच सकेगी। छोटी बचतों का शुद्ध संग्रह बराबर बढ़ता जा रहा है; १९५१-५२ में इसकी रकम ३७.५७ करोड़ रुपया थी, जो १९५७-५८ में बढ़ कर ६९.६ करोड़ रुपया हो गयी। चालू वर्ष के पहले दस महीनों में शुद्ध संग्रह की रकम ४७ करोड़ रुपये तक पहुंची है, जबकि इससे पहले के वर्ष की इसी अवधि में यह ३८ करोड़ रुपये से कुछ कम थी। उस वर्ष के अन्तिम दो महीनों में असाधारण रूप से अधिक संग्रह हुआ, क्योंकि कुछ राज्य सरकारों ने इसके लिये विशेष रूप से आन्दोलन किये। इसका ध्यान रखते हुए और इस वर्ष की वास्तविक आय की प्रवृत्ति को देखते हुए मैं इस वर्ष के लिए ७५ करोड़ रुपये से अधिक की रकम लेना उचित नहीं समझता। डाक बचत बैंक अब भी पहले जितना काम नहीं कर पा रहे हैं, किन्तु राष्ट्रीय आयोजना बचत पत्रों और राजकोष बचत पत्रों की बिक्री में कुछ सुधार हुआ है।

इस विषय की चर्चा करते हुए मैं उन विभिन्न उपायों का संक्षेप में उल्लेख करना चाहता हूं जो बचत आन्दोलन को जोरदार बनाने के लिये इस वर्ष के दौरान में किये गये। डाकखाना बचत बैंकों को फिर लोकप्रिय बनाने के लिये चेक से रुपया निकालने की सुविधा, जो पहले बम्बई में प्रयोग के रूप में दी गयी थी, कई बड़े-बड़े शहरों के बहुत से डाकखानों में दी जा रही है। इरादा यह है कि जल्दी से जल्दी सभी डाकखानों में इस सुविधा की व्यवस्था की जाय। कमीशन के आधार पर एजेन्टों की मार्फत राजकोष बचत जमा पत्रों की बिक्री की अनुमति देने का भी निश्चय किया गया है। राष्ट्रीय बचत पत्रों सम्बन्धी नियमों में उचित परिवर्तन करके उन्हें फिर जारी कर दिया गया है और पहले की अपेक्षा अधिक एजेण्टों की भरती तथा बचत समूहों के संगठन के लिए जोरदार प्रयत्न प्रारम्भ किया गया है। राज्य सरकारों के परामर्श से प्रचार कार्य का प्रायः विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है। अब यह कार्य प्रायः राज्य सरकारों के जिम्मे रहेगा; केवल थोड़ा सा कार्य, जिसे केन्द्रीय सरकार के हाथ में रखना वांछनीय समझा गया है, केन्द्रीय सरकार के हाथ में है। यह प्रचार अब अधिकतर प्रादेशिक भाषा में और राज्यों द्वारा किया जायगा। इस बात से आन्दोलन को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। समय की गति के साथ जो बहुविध अभिकरण प्रणाली (मल्टिपुल एजेंसी सिस्टम) पैदा हो गयी है उसके स्थान पर एकरूप प्रणाली (यूनिफार्म सिस्टम) स्थापित करने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है। सरकार ने छोटी बचतों में रुपया लगाने वालों को इस बात की सुविधा देने का सिद्धान्त मान लिया है कि जिस प्रकार बीमादार अपनी बीमा पालिसियों को दूसरों के नाम कर सकते हैं उसी प्रकार वे भी उन आदमियों को नामजद कर सकें जिन्हें वे अपना लगाया हुआ रुपया वापस दिलाना चाहें। यह अनुमति देने का अधिकार प्राप्त करने के लिये आवश्यक कानून जल्दी ही पास किया जायगा। इस वर्ष २ जनवरी से, बढ़ने वाली मियादी जमा की योजना चालू कर दी गयी है। इसके अनुसार, ब्याज की

[श्री मोरारजी देसाई]

आकर्षक दरों पर पांच या दस वर्षों तक डाकखानों में प्रतिमास छोटी रकमें जमा करायी जा सकती हैं। इस योजना को चलाने से रुपया लगाने के क्रमशः नये-नये तरीके निकालने का काम आगे बढ़ा है।

राष्ट्रीय बचत संगठन, बचत आन्दोलन को बढ़ाने में राज्य सरकारों से निकट सम्पर्क बनाये रखता है। बचतों से होने वाली शुद्ध प्राप्ति को केन्द्र और राज्यों में बांटने की व्यवस्था में परिवर्तन करके बचत आन्दोलन में राज्य सरकारों की दिलचस्पी बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है। जब बचतों से होने वाली शुद्ध प्राप्ति में राज्यों का हिस्सा बढ़ा कर दो-तिहाई कर दिया गया था तब एक शर्त यह रखी गयी थी कि जिस वर्ष कोई राज्य सरकार बाजार ऋण जारी करे उस वर्ष वह इन ऋणों से प्राप्त होने वाली रकम का एक-तिहाई भाग केन्द्र को सौंप दे। यह शर्त अब हटा दी गयी है जिससे बचतों से होने वाली शुद्ध प्राप्ति से राज्यों को दो तिहाई भाग तो मिलता ही है साथ ही बाजार ऋणों से प्राप्त सारी रकम भी उनके पास बनी रहती है।

अगले साल के बजट में मैंने बाजार ऋणों से २२५ करोड़ रुपये यह ध्यान रखते हुए लिये हैं कि बाजार को ३ प्रतिशत द्वितीय विजय ऋण (सेकण्ड विक्टरी लोन)—१९५९-६१ से ११० करोड़ रुपये का भुगतान भी किया जायगा। इसके अतिरिक्त राजकोष हुण्डियों के द्वारा भी मैंने १५ करोड़ रुपये बाजार से लिये हैं। छोटी बचतों के सम्बंध में मैंने ८५ करोड़ रुपये की शुद्ध जमा दिखलायी है; इस वर्ष होने वाली प्राप्तियों की तुलना में इसमें १० करोड़ रुपये की मामूली सी वृद्धि है। इस समय जो सब से सही अनुमान लगाया जा सकता है उसके आधार पर मैं आशा करता हूं कि अगले वर्ष ३३७ करोड़ रुपये की विदेशी सहायता प्राप्त हो सकेगी।

अब मैं अगले वर्ष की सम्पूर्ण बजट स्थिति का सारांश बतलाता हूं :

> कराधान (टैक्सेशन) और व्यय के वर्तमान स्तर के आधार पर राजस्व में ८२ करोड़ रुपये की कमी रह जायगी। पूंजी परिव्यय की रकम ४२० करोड़ रुपया, राज्य सरकारों और दूसरों को दिये जाने वाले ऋणों की रकम ५२५ करोड़ रुपया और ऋण-परिशोधन की रकम १३० करोड़ रुपया होगी। १,१५७ करोड़ रुपये के इस सम्पूर्ण व्यय को पूरा करने के लिये १११ करोड़ रुपया राज्य सरकारों द्वारा किये जाने वाले ऋण-परिशोधन से, २४० करोड़ रुपया भारत में बाजार ऋणों से, ८५ करोड़ रुपया छोटी बचतों से, ३३७ करोड़ रुपया विदेशी सहायता से, ९५ करोड़ रुपया विशेष प्रतिभूतियों (स्पेशल सिक्यूरिटियों) के निर्गम (इश्यू) से (अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि को दिये गये अतिरिक्त अंशदान की पूर्ति के लिए) और ४४ करोड़ रूपया ऋण और जमा शीर्षकों के अन्तर्गत विविध प्राप्तियों से मिलेगा। फिर भी २४५ करोड़ रुपये की कमी रह जायगी जिसे राजकोष हुण्डियां जारी करके पूरा किया जायगा ।

अब मैं अगले वर्ष की राजस्व की घटती को पूरा करने के बजट प्रस्तावों को लेता हूं।

चालू और अगले वर्ष के घाटे कुछ असाधारण हैं—एक तरफ तो राजस्व (रेवेन्यू) में काफी कमी हुई है और दूसरी ओर राजस्व से किये जाने वाले विकास के खर्च में बढ़ती हुई है। यद्यपि पिछले वर्षों में हर साल राजस्व में अधिशेष (सर्प्लस) रहता आया है, फिर भी मैं समझता हूं कि अगले वर्ष घाटे को ज्यों का त्यों पड़ा रहने देना ठीक न होगा। पिछले वर्षों में राजस्व की सुविधाजनक स्थिति का कुछ कारण राजस्व की लचक और कुछ खर्च में कमी होना था, जो उस हालत में अनिवार्य है जब देश बढ़ती हुई विकास आयोजना को अमल में लाने के लिए अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सज्जित कर रहा हो। अब ये दोनों बातें नहीं रहीं। पिछले वर्षों में राजस्व की लचक मुख्य रूप से सीमा शुल्कों

(कस्टम्स) के अन्तर्गत थी, लेकिन आयात में भारी कटौती करने और निर्यात को धीरे-धीरे निर्यात-शुल्क से छुटकारा देने के कारण सीमा-शुल्कों से मिलने वाला राजस्व घट गया है और सम्भव है कि कुछ वर्षों तक इसी हालत में रहे। आयोजना (प्लान) को क्रियान्वित करने के लिए प्रशासन-तन्त्र अब पहले की अपेक्षा अधिक सज्जित है और बजट में निर्धारित रकमें, पिछले वर्षों की अपेक्षा पूरी तरह से खर्च की जा सकेंगी। इन सब कारणों को देखते हुए, मैं समझता हूं कि अगले वर्ष घाटे के एक हिस्से को पूरा करना ही पड़ेगा। आयोजना के लिये और ज्यादा साधन जुटाते रहने की हमारी नीति से भी इसका मेल बैठता है।

प्रत्याशित घाटे को जिस हद तक पूरा किया जाना चाहिए उसका निश्चय करने के लिये मैंने पिछले दो वर्षों में बढ़ाये गये करों का भी ध्यान रखा है। मैं साहसपूर्वक कह सकता हूं कि जबसे दूसरी आयोजना अमल में आयी है, करों के द्वारा और अधिक साधन जुटाने का हमारा प्रयत्न काफी प्रभावशाली रहा है। १९५६-५७ में मूल और अनुपूरक (सप्लिमेंटरी) बजटों के प्रस्तावों को मिलाकर, कुल ८० करोड़ रुपये के कर लगाये गये। बाद के वर्ष में हम और भी आगे बढ़ गये और करों की रकम प्रायः एक सौ करोड़ तक पहुंच गयी। चालू वर्ष में शुद्ध अतिरिक्त करों की रकम ज्यादा नहीं है, लेकिन आयोजना के पिछले तीन वर्षों को मिला कर अतिरिक्त करों की रकम काफी बड़ी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं अगले वर्ष के ८२ करोड़ रुपये के प्रत्याशित घाटे के लगभग चौथाई भाग की ही पूर्ति करना चाहता हूं।

दूसरी समस्या यह है कि इन अतिरिक्त करों को प्रत्यक्ष (डाइरेक्ट) और अप्रत्यक्ष (इनडाइरेक्ट) करों में किस प्रकार बांटा जाय। हमने अभी ही प्रत्यक्ष रूप से कर लगाने की एक योजना तैयार की है और मेरे विचार से हमें अभी प्रशासनिक-तन्त्र में सुधार करने, मौजूदा कार्यप्रणालियों को सरल बनाने और (कर देने से) बच निकलने के रास्तों को बन्द करने की ओर ही अधिक ध्यान देना चाहिए। इन उपायों से हम बहुत से और बड़े-बड़े परिवर्तन किये बिना ही इन साधनों से राजस्व बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे। किन्तु इनसे तुरन्त लाभ नहीं हो सकता और, यद्यपि मेरे प्रस्तावों द्वारा इस क्षेत्र में भी दरों में परिवर्तन किये गये हैं, मुझे भय है कि अगले साल अतिरिक्त राजस्व का बड़ा भाग अप्रत्यक्ष (इनडाइरेक्ट) करों से ही प्राप्त होगा। मैं पहले अप्रत्यक्ष और फिर प्रत्यक्ष (डाइरेक्ट) करों को ले रहा हूं।

अप्रत्यक्ष कर

अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में मेरे प्रस्ताव ज्यादातर उत्पादन शुल्कों (एक्साइजेज) की दरों और रियायतों में परिवर्तन करने वाले हैं। इन्हें कुछ विस्तार से बजट पत्रों के साथ दिये जाने वाले ज्ञापन में छापा गया है। यहां मैं संक्षेप में ही उनका उल्लेख करूंगा।

साफ किये हुए डीजल तेलों (रिफाइण्ड डीजल आयल्स) और उड़ने वाले तेल (वेपोराइजिंग आयल) का शुल्क ४० नये पैसे प्रति गैलन से बढ़ा कर ८० नये पैसे किया जा रहा है। इस समय डीजल आयल का इस्तेमाल सस्ता पड़ता है और यह हमें काफी परिमाण में बाहर से मंगाना पड़ता है। राजस्व बढ़ाने और विदेशी मुद्रा को बचाने के खयाल से यह वृद्धि ठीक है। साथ ही कम रफ्तार (लो स्पीड) देने वाले डीजल आयल के शुल्क की दर भी ४० रुपये प्रति टन से बढ़ा कर ५० रुपये प्रति टन की जा रही है। इन दोनों उपायों से हर साल कुल ७.८५ करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी।

नकली रेशम (आर्ट सिल्क) के कपड़ों पर लगने वाला शुल्क ६ पाई प्रति वर्ग गज से बढ़ा कर ६ नये पैसे प्रति वर्ग गज किया जा रहा है। इसी के साथ, जो छूट वर्तमान रूप में पहले नौ करघों पर बने माल के लिये दी जाती है वह घटा कर चार करघों पर बने माल के लिये कर दी जायगी। इस

[श्री मोरारजी देसाई]

उद्योग को जो भारा लाभ हो रहा है उसे देखते हुए यह वृद्धि ठीक ही है। अनुमान है कि इस से हर साल १ करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी। छूट कम कर देने से भी अतिरिक्त शुल्कों के रूप में २० लाख रुपये की प्राप्ति होगी, जो राज्यों के हिस्से में जायगी।

रेयन के तागे और स्टेपल रेशे (स्टेपल फाइबर) के शुल्क की वास्तविक दरों में भी ६० प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है जिस से ५० लाख रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होगी।

मोटर गाड़ियों के टायरों पर लगने वाला शुल्क मूल्यानुसार (एड वेलोरम) ३० प्रतिशत से बढ़ा कर मूल्यानुसार ४० प्रतिशत किया जा रहा है। साइकिल टायरों पर लगने वाले शुल्क की दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अनुमान है कि १.७५ करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होगी।

बनास्पती (वेजिटेबल प्रोडक्ट) पर लगने वाले शुल्क में भी वृद्धि की जा रही है, जो प्रति हेण्डरवेट ७ रुपये से बढ़ कर प्रति हेण्डरवेट ८.७५ रुपया हो जायगी। इसी के साथ छोटे उत्पादकों को समान छूट दी जा रही है। अतिरिक्त प्राप्ति की रकम ९५ लाख रुपया होगी।

असारीय निर्गंध वनस्पति तेलों (वेजिटेबल नान एसेंशियल आयल्स) पर सब से पहले १९५६ में शुल्क लगा था, किन्तु छोटे और मंझोल उत्पादकों को कुछ रियायत दी गई थी और वह यह कि खंड (स्लैब) के आधार पर प्रतिवर्ष १२५ टन तक के उत्पादन के लिये छूट दी गई थी। १९५७ में निश्शुल्क खण्ड (फ्री स्लैब) को घटा कर ७५ टन कर दिया गया और ७५ तथा १३५ टन के बीच के उत्पादन पर कम दर पर शुल्क लगा दिया गया। इन रियायतों पर फिर से विचार किया गया है और अब यह प्रस्ताव है कि बिजली से चलने वाले सभी कारखानों से छूट वापस ले ली जाय और रियायती शुल्क, उत्पादन के सिर्फ पहले ७५ टनों तक सीमित कर दिया जाय। इन परिवर्तनों से जो अधि-सूचना (नोटिफिकेशन) के द्वारा लागू किय जायेंगे और किसी भी तरह से गांव की घानियों पर लागू न होंगे, अनुमानतः ४.४ करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी।

इस समय खांडसारी (चीनी) पर उत्पादन शुल्क नहीं लगता, लेकिन बिक्री कर लगता है। इस चीनी (खांडसारी) को हमेशा ही शुल्क सम्बन्धी रियायत प्राप्त रही है, लेकिन हाल में दाना चीनी (क्रिस्टल शुगर) के शुल्क में काफ़ी बढ़ती हो जाने से यह रियायत और भी ज्यादा हो गई है और नतीजा यह हुआ है कि खांडसारी अब ज्यादा मिकदार में बनाई जाने लगी है। इस रियायत को कम करने के लिये जबर्दस्त कारण मौजूद हैं और प्रति हण्डरवेट ५ रुपये ६० नये पैसे का बुनियादी शुल्क लगा कर ऐसा किया जा रहा है। इसी के साथ बिक्री कर की जगह ७० नये पैसे का अतिरिक्त शुल्क लगाया जा रहा है। बुनियादी शुल्क से १.८२ करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी और अतिरिक्त शुल्क से २५ लाख रुपये की, जो सब की सब राज्यों को दे दी जायेंगी।

विभिन्न प्रकार की सिगरटों के शुल्क में भी कुछ परिवर्तन किये जा रहे हैं जिन के कारण, सब मिला कर, सिगरटों के शुल्कों के स्तर में १६ प्रतिशत की बढ़ती हो जायगी। इन समायोजनों से १.५ करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान है।

प्रसंगतः अनिर्मित (अनमैनुफैक्चर्ड तम्बाकू) पर लगने वाले मौजूदा शुल्क के कारण जो तम्बाकू पहले हुक्के के काम आती थी उस के कुछ अंश से अब बीड़ियां बनाई जाने लगी हैं। मैं तम्बाकू की उन किस्मों पर, जिन के सम्बन्ध में विशेष रूप से सूचना प्रकाशित की जायगी और जिन से वास्तव में बीड़ियां बनाई जाती हैं, ऊंची दर से शुल्क लगाने का अधिकार ले रहा हूं।

चाय के उत्पादन शुल्क और निर्यात शुल्कों के सम्बन्ध में बराबर विचार किया जाता रहा है। निश्चय किया गया है कि देश के कुछ हिस्सों में पैदा की जाने वाली चाय के उत्पादन शुल्कों की दर में फिर से परिवर्तन किया जाय और इसी के साथ निर्यात शुल्कों की प्रभावी दर प्रति पौंड २६ नये पैसे से घटा कर प्रति पौंड २४ नये पैसे कर दी जाये। इन परिवर्तनों से उत्पादन शुल्कों से ५८ लाख रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होगी और निर्यात शुल्क की प्राप्ति में ९३ लाख रुपये की कमी हो जायगी। सब मिला कर, चाय उद्योग को ३५ लाख रुपये तक का लाभ होगा।

जो विभिन्न उपाय मैं ने अभी बताये हैं उन के द्वारा बुनियादी शुल्कों से कुल २०.३५ करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होगी और बिक्रीकरों की जगह अतिरिक्त शुल्क लगाने से ४५ लाख रुपये की प्राप्ति होगी, जो राज्यों के हिस्से चली जायेगी। जैसाकि माननीय सदस्यों को मालूम है, पिछले वित्त आयोग के निर्णय के अनुसार तम्बाकू, बनास्पती (वेजिटेबल प्रोडक्ट), चाय, चीनी और असारीय निर्गन्ध बनास्पती तेलों (वेजिटेबल नान एसेंशियल आयल्स) के बुनियादी शुल्कों में से राज्यों को भी हिस्सा मिलता है। राजस्व संग्रह का खर्च काट कर, इन वस्तुओं से प्राप्त होने वाले शुद्ध अतिरिक्त राजस्व का २५ प्रतिशत भाग राज्यों में बांट दिया जायगा। इस अदायगी की रकम २.२७ करोड़ रुपया होगी। इसे, और राज्यों को दिये जाने वाले अतिरिक्त शुल्कों को छोड़ कर, केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों के परिवर्तनों से अतिरिक्त राजस्व के रूप में १८.०८ करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी।

सीमा शुल्कों के सम्बन्ध में कोई बड़ा परिवर्तन करने का मेरा विचार नहीं है। किन्तु जिन वस्तुओं के उत्पादन शुल्क बढ़ाये जा रहे हैं उन के आयात शुल्कों में प्रतिसन्तुलनकारी (काउण्टर वेलिंग) वृद्धि होगी और इसी से ३.६५ करोड़ रुपये की अधिक प्राप्ति हो जायगी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया है, चाय के निर्यात शुल्क में कमी होने से प्राप्ति में ९३ लाख रुपये की कमी हो जायगी। कच्चे (अनएक्सपोज्ड) सिनेमा फिल्मों का शुल्क भी में थोड़ा बढ़ाना चाहता हूं जिस से साल भर में ५ लाख रुपया मिल जायगा जो फिल्म फाइनेंस कारपोरेशन के काम आयेगा जिसकी स्थापना की जा रही है। इस थोड़ी सी बढ़ती से अगले साल सीमा शुल्कों से २.७७ करोड़ रुपये की शुद्ध (नेट) अतिरिक्त प्राप्ति होगी।

प्रत्यक्ष कर

मैं १९५९-६० से सम्पत्ति कर में, जिसे व्यक्तियों (एक व्यक्ति को) और अनबटे हिन्दू परिवारों को अदा करना पड़ता है, आध प्रतिशत की वृद्धि करना चाहता हूँ। व्यक्तियों पर सम्पत्ति कर की नयी दरें २ लाख रुपये से ज्यादा लेकिन १२ लाख रुपये तक की सम्पत्ति पर १ प्रतिशत, १२ लाख रुपये और २२ लाख रुपये से अधिक की सम्पत्ति पर १½ प्रतिशत और इससे ऊपर किसी भी आधिक्य (एक्सेस) पर २ प्रतिशत होगी। अनबटे हिन्दू परिवारों के लिए ऐसे ही अदल बदल किये जायंगे। इससे २.५ करोड़ रुपये की अधिक आमदनी होगी।

इस साल व्यय कर की प्राप्ति निराशाजनक है। यह कर नया है और इसका प्रयोग संसार के किसी और देश में अभी तक नहीं हुआ है, इस लिए यह ठीक ही है कि इसके लागू होने के पहले साल हम सावधानी के साथ कदम बढ़ाते। फिर भी मैं समझता हूँ कि अब इस कानून के सम्बन्ध में कुछ हद तक सख्ती बरती जानी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ छूटें बन्द कर दी जायं और खास तौर से यह व्यवस्था कर दी जाय कि पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे, ३०,००० रुपये की छूट की सीमा के लिये एक इकाई (यूनिट) माने जायें, अलग करदाता (एसेसी) नहीं, भले ही व्यक्तिगत रूप से उन्हें अलग आमदनी होती हो।

[श्री मोरारजी देसाई]

जहां तक आयकर (इनकम टेक्स) का सम्बन्ध है व्यक्तिगत आय कर की दरों और ढांचे में कोई परिवर्तन करने का मेरा इरादा नहीं है । लेकिन कम्पनियों के लाभों और लाभांशों (डिवीडेण्ड) पर कर लगाने की मौजूदा प्रणाली में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में मेरे कुछ प्रस्ताव हैं । अभी किसी भी भारतीय कम्पनी को साधारणतः अपनी कुल आमदनी पर ३० प्रतिशत आय कर और साथ में १.५ प्रतिशत का अधिभार (सरचार्ज) और २० प्रतिशत अधिकर (सुपर टैक्स) अदा करना पड़ता है । इन करों की अदायगी के बाद जब बाकी रकम से लाभांश घोषित (डिक्लेयर) किये जाते हैं, तो यह मान लिया जाता है कि कम्पनी द्वारा चुकाये गये आय कर का एक हिस्सा खुद शेयर-होल्डरों ने चुका दिया है । आय कर के निर्धारण (एसेसमेण्ट) में, जो लाभांश शेयर होल्डरों को मिलते हैं वे "कुल" (ग्रौस) में दिखलाये जाने के बाद उन की आमदनी में शामिल किये जाते हैं और उन्हें उन रकमों की छूट मिल जाती है जिन के सम्बन्ध में यह मान लिया जाता है कि उन की तरफ़ से कम्पनी ने उन की अदायगी कर दी है । "कुल" (ग्रौस) में दिखलाने की यह प्रणाली कुछ पेचीदा है । "कुल" में दिखलाने की दर उस प्रभावी दर पर निर्भर होती है जिस पर शुरू में कम्पनी के लाभों पर कर लगाया जाता है । दूसरी ओर, प्रभावी दर कम्पनी की आमदनी के मिश्रण (कम्पोजीशन) पर निर्भर होती है । खुद लाभांश कुछ वर्षों में जमा की हुई प्रारक्षित (रिजर्व) राशियों में से अदा किये जा सकते हैं जिस से उस प्रभावी दर का पता लगाने का काम कठिन हो जाता है जिस के आधार पर लाभों पर कर लगाया गया है । इस के अलावा, कम्पनी का कर निर्धारण (एसेसमेण्ट) समाप्त होने तक शेयरहोल्डरों का कर निर्धारण रुका रहता है । इन सब बातों से सभी सम्बद्ध व्यक्तियों को बहुत असुविधा होती है, इसलिये जिस योजना का प्रस्ताव मैं रख रहा हूं उस में इस से बचने की व्यवस्था की गई है ।

इस योजना की मुख्य बातों का सार यह है : इस कानूनी कल्पना का, कि कम्पनी द्वारा अदा किया गया आय कर शेयरहोल्डर द्वारा अदा किया जा चुका है और शेयरहोल्डर द्वारा प्राप्त लाभांशों को "कुल" (ग्रौस) में ले जाने की पेचीदा प्रणाली का अन्त हो जायगा । भारतीय कम्पनियों पर लागू होने वाली कर की कुल दर, इस तरह निर्धारित की जायगी कि इससे उतनी ही आमदनी होगी जितनी मौजूदा वार्षिक कुल प्राप्ति में आजकल शेयरहोल्डरों को दी जाने वाली छूट को घटाकर होती है । आगे से शेयरहोल्डरों के कर का कम्पनियों द्वारा अदा किये गए कर से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा । कम्पनियां शेयरहोल्डरों के लाभांशों से एक समान दर से कर की रकम काट लेंगी और उसे सरकार को सौंप देंगी । यह कर शेयरहोल्डरों को, उनके कर की रकम निर्धारित करते समय वापस कर दिया जायगा, जैसा कि इस समय सरकारी सिक्यूरिटियों के ब्याज के सम्बन्ध में किया जाता है । मुझे आशा है कि मैं छोटे शेयरहोल्डरों को छूट के सार्टीफिकेट देने की एक योजना बना सकूंगा जिससे उनके मामले में वापसी का सवाल ही पैदा न हो ।

यह योजना दो दौरों में अमल में लायी जायगी । पहले दौर में, अर्थात् १९५९-६० में कम्पनियां उसी दर से लाभांश में से आय कर काटेंगी जो सरकारी सिक्यूरिटियों पर लागू होती है और केवल उन्हीं लाभांशों में, जो उस साल के लिए घोषित किये गये होंगे जिस साल के लाभों पर १९६०-६१ में कर लगाया जायगा; उदाहरण के लिए ३० जून १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए घोषित किये गये लाभांशों के लिए । किसी पहले के वर्ष के लिए घोषित लाभांशों से, जिसके लाभों पर १९५९-६० में कर लगने चाहिएं, (उदाहरण के लिए १९५८ के कलेण्डर वर्ष के लाभांश) यह कटौती न की जायगी और उन पर वर्तमान नियमों के अनुसार ही कर लगता रहेगा । दूसरे दौर में, अर्थात् १९६०-६१ में, योजना के अनुसार कम्पनियों पर लगने वाली कर की कुल दर अमल

में आजायगी। एक अप्रैल, १९६० से लाभांशों को "कुल" (ग्रौस) का रूप देने की मौजूदा योजना पर उन लाभांशों के सम्बन्ध में अमल नहीं किया जायगा, जो १९६०-६१ के कर-निर्धारण-वर्ष और बाद के वर्षों के लिए प्रासंगिक समझे जाने वाले लेखा वर्ष (एकाउण्टिग इयर) के लिए घोषित किये जायेंगे।

कम्पनियों की कर-व्यवस्था को सरल बनाने के लिए मैं कम्पनियों के आय कर और अधिकर (सुपर टैक्स) की दरों में इतनी बढ़ती करना चाहता हूं जिससे कम्पनी पर उतना ही भार पड़े जो अभी आय, अतिरिक्त लाभाशों और सम्पत्ति करों के भार के कारण पड़ता है। आय कर अधि-नियम (इनकम टैक्स ऐक्ट) की धारा १८-क के अनुसार कम्पनियों द्वारा पेशगी अदायगी के लिए मैं आय कर के लिए २० प्रतिशत और अधिकर के लिए २५ प्रतिशत की दर का, यानी कुल ४५ प्रतिशत का प्रस्ताव करता हूं। इस दर से उतनी ही आमदनी होगी जितनी अभी सम्पत्ति और कम्पनियों के लाभों के करों से होती हैं, इसलिए मैं कम्पनियों के सम्पत्ति कर और अतिरिक्त लाभांश कर (एक्सेस डिविडेण्ड टैक्स) को समाप्त कर देना चाहता हूं।

कम्पनी करों के अदल-बदल से अगले साल आय कर के विभाज्य कोष (डिविज़िबल पूल) पर असर नहीं पड़ेगा। हो सकता है १९६०-६१ में, कोष में अभी जाने वाले कर का एक हिस्सा टक्निकल कारणों से विभाज्य न समझा जाय। सरकार चाहती है कि जब तक अगला वित्त आयोग (फाइनेंस कमिशन) इस मामले में छानबीन न कर ले तबतक राज्य सरकारों को उनके हिस्से के रूप में आय कर की लगभग उतनी ही रकम मिलती रहे जो उन्हें इस अदल-बदल के न होने पर मिलती।

जो विदेशी कम्पनियां भारत के बाहर लाभांश घोषित करती हैं उन पर इस योजना का असर नहीं पड़ेगा। फिर भी, कम्पनियों पर से सम्पत्ति कर हटा लिये जाने के कारण जो दरें उन पर लागू होती हैं उनमें कुछ अदल-बदल जरूरी है। ऐसी कम्पनियों पर लगने वाली दर अभी ६१.५ प्रतिशत है और इसे मैं १९६०-६१ से बढ़ाकर ६३ प्रतिशत कर देना चाहता हूं।

कम्पनी करों के विषय से हटने से पहले मैं एक परिवर्तन का जिक्र करूंगा। साधारण बोनस शयरों पर तो कर लगता है लेकिन शयर प्रीमियम एकाउण्ट के शयरों पर नहीं लगता। १९६०-६१ से मैं इन शयरों पर भी, दूसरे बोनस शयरों की तरह, कर लगाना चाहता हूं।

नयी योजना के अनुसार आय कर अधिनियम में कुछ और परिवर्तनों की जरूरत पड़ेगी। किन्तु उन परिवर्तनों का व्योरा देकर मैं सदन को थकाऊंगा नहीं। उन्हें वित्त विधेयक (फाइनेंस बिल) में सम्मिलित किया गया है और बजट पत्रों के साथ दिये जाने वाले ज्ञापन में भी उनकी व्याख्या की गयी है।

वित्त विधेयक में कुछ और भी छोटे-छोट परिवर्तन हैं। इनका राजस्व पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा और मैं सदन के सामने इन में से सिर्फ दो का ही जिक्र करूँगा। इन में से एक के द्वारा वह रियायत बन्द कर दी गयी है जो इस समय ४,५०० रुपये तक की उस रकम के लिए मिलती है जो विदेशों में कमायी गयी हो पर भारत न भेजी गयी हो, और दूसरे के द्वारा कुछ छूटों की व्यवस्था की गयी है जो उस समझौते के अनुसार दी जायंगी जो पश्चिम बंगाल में तेल का पता लगाने के लिए एक तेल कम्पनी के साथ किया गया है।

प्रस्तावों का वास्तविक प्रभाव

अब मैं करों के प्रस्तावों के वास्तविक प्रभाव का सारांश बतलाता हूं। केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों के परिवर्तनों से, (राज्यों को दिये जाने वाले हिस्सों को छोड़कर) १८.०८ करोड़ रुपये की प्राप्ति

[श्री मोरार जी देसाई]

होगी। सीमा शुल्कों के परिवर्तनों से २ ·७७ करोड़ रुपये और सम्पत्ति कर की वृद्धि से २ ·५ करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी। इस तरह कुल २३ ·३५ करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी। इससे राजस्व खाते का घाटा ८१ ·६७ करोड़ रुपये से कम होकर ५८ ·३२ करोड़ रुपया रह जायगा। घाटे की रकम प्रायः वही है जो चालू वर्ष में थी। इसे घाटे को पूरा किये बिना ही छोड़ देने का विचार है। बजट का सम्पूर्ण घाटा भी २४५ करोड़ रुपये से कम हो कर २२२ करोड़ रुपया रह जायगा।

निष्कर्ष

अब वार्षिक बजट सरकार के वित्त-प्रबन्ध का लेखा-जोखा ही नहीं है; वह इससे कुछ अधिक है। हर बजट देश के लगातार विकास की एक एक मंजिल का संकेत है और इस विकास में उससे जो सहायता मिलती है उस को देख कर ही उसके सम्बन्ध में राय बनायी जानी चाहिए। इसलिए आयोजना को अमल में लाने में हम जिस मंजिल तक पहुंच गये हैं, वह मंजिल ही एक तरह से इस बजट को उपयोगी बनाती है। जहां तक आयोजना का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति यह मानता है कि उन छोटे-मोटे परिवर्तनों की सीमा में रहते हुए, जो आवश्यक हों और जो हाल में राष्ट्रीय विकास परिषद् ने आयोजना पर फिर विचार करते हुए किये हैं, हमें आयोजना को अमलमें लाने का काम आगे बढ़ाना चाहिए। मेरे लिए और मुझ से पहले के वित्त मंत्रियों के लिए बजट बनाने के सम्बन्ध में यही बात सबसे महत्वपूर्ण रही है। ऐसा करते हुए मैंने उन्हीं बातों को बराबर ध्यान में रखा है जो आयोजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हैं और ये बातें हैं—कर लगाकर तथा ऋण लेकर अधिक से अधिक धन जुटाना, विकास-कार्यों के अलावा दूसरे कार्यों पर होने वाले खर्च की बढ़ती पर पूरा नियन्त्रण रखना और विकास-कार्य के लिए केन्द्रीय बैंक से कम से कम ऋण लेना। जहां तक धन जुटाने का सम्बन्ध है, यद्यपि अतिरिक्त करों से, आयोजना के पहले दो वर्षों की अपेक्षा अगले वर्ष कम रकम प्राप्त होगी, फिर भी वह काफी होगी। जहां तक खर्च बढ़ने का सवाल है, माननीय सदस्य देखेंगे कि अगले साल के बजट में प्रतिरक्षा (डिफेंस) व्यय में काफी कमी कर दी गयी है और असैनिक (सिविल) व्यय की वृद्धि का मुख्य कारण विकास के लिए की गयी अधिक व्यवस्था है। हम इस बात का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि विकास कार्य के अलावा दूसरे कार्य के खर्च में ऐसी कोई बढ़ती न हो जिसे टाला जा सकता हो। वित्त मंत्रालय में और आयोजन-आयोग में हमने ऐसा प्रबन्ध किया है जिससे आयोजना-सम्बन्धी खर्च और दूसरे खर्च में किफ़ायत की जा सके। समय समय पर संसद् के सामने मितव्यय एककों (इकनामिक यूनिटों) के काम का विवरण पेश किया जाता है, इसलिए इस विषय का यहां अधिक विस्तार करना मेरे लिए आवश्यक नहीं है। फिर भी, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं इस व्यय पर अधिक कड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता का पूरी तरह अनुभव करता हूं और हम इस बात की बराबर चेष्टा करते रहते हैं कि कार्यकुशलता और कार्य के परिणाम को कम किये बिना अधिक से अधिक किफ़ायत हो। जहां तक केन्द्रीय बैंक से कर्ज़ लेने का सवाल है, यद्यपि बजट सम्बन्धी कुल घाटा चालू वर्ष को देखते हुए अगले वर्ष बहुत कम है और १९५७-५८ की अपेक्षा तो और भी कम है, फिर भी वह उस से ज्यादा है जिसे मैं खुद पसन्द करता और जिसका विचार कुछ महीने पहले सरकार के मन में था। सदन इस बात को महसूस करेगा कि यह कमी अधिकांश में आयोजना सम्बन्धी खर्च के कारण हुई है, जिसे बेरोज़गारी बढ़ाये और कार्य में गतिरोध पैदा किये बिना घटाया नहीं जा सकता। फिर भी, मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार को इस स्थिति से सन्तोष नहीं है और मैं देखूंगा कि वर्ष के दौरान में उचित उपाय करके इस घाटे को कहां तक पूरा किया जा सकता है।

पिछले महीने हमारे लिए बहुत कठिन रहे हैं और, जैसा कि प्रधान मंत्री ने पिछले साल बजट पेश करते हुए ठीक ही कहा था, हमारा संकट विकास और साधनों की प्राप्ति की ओर ले जाने वाला

संकट है । मैं समझता हूं कि हम सब से ज्यादा मुश्किल मंजिल पार कर चुके हैं और मौजूदा स्थिति को निराशाजनक समझने का कोई कारण नहीं है । आयोजना की बाकी अवधि में विकास की बहुत सी बड़ी-बड़ी योजनाएं पूरी हो जायेंगी और उनसे लाभ होने लगेगा । देश की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी, कठिनाइयां धीरे-धीरे दूर की जा रही हैं और बजट सम्बन्धी कुल कमी काफ़ी घटने लगी है । हालांकि बढ़ी हुई कीमतें अब भी कुछ चिन्ता का कारण बनी हुई हैं, तो भी देश की अर्थ-व्यवस्था की मज़बूती और मौजूदा कठिनाइयों का सामना करने की उसकी शक्ति के सम्बन्ध में सन्देह करने का कोई कारण नहीं है । ये कठिनाइयां संक्रमण काल की कठिनाइयां हैं और इनसे जनता को और अधिक प्रयत्न करने के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए । किसी भी हालत में पीछे देखने या देश के आर्थिक विकास को धीमा करने की बात नहीं सोची जा सकती । जिस बात की आवश्यकता है वह है अधिक उत्पादन, अधिक बचत तथा खपत में और अधिक कमी—दूसरे शब्दों में, देश के उज्जवल भविष्य के लिए जनता के अधिक प्रयत्न और अधिक त्याग की आवश्यकता । मुझे विश्वास है कि जनता प्रयत्न और त्याग करेगी और हम विश्वास और दृढ़ता के साथ अपने उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सकेंगे ।

अन्तिम अनुमानों का सारांश

(लाख रुपयों में)

राजस्व	बजट १९५८-५९	संशोधित १९५८-५९	बजट १९५९-६०
सीमा शुल्क . . .	१७०,००	१३६,००	१३०,०० +२,७७ }*
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क .	३०४,७६	३०१,१५	३०७,०० +१८,०८ }*
निगम कर . . .	५५,५०	५६,००	५८,७५
निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर . .	८४,५३	८६,७०	८७,६३
मृत सम्पत्ति-शुल्क . .	१२	१२	१४
सम्पत्ति-कर . . .	१२,५०	१०,००	१०,५० + २,५० }*
रेल किराया कर . .	७	११	११
व्यय कर . . .	३,००	१,००	१,००
दान कर . . .	२,००	१,२०	१,२०
अफीम . . .	२,८७	३,३१	३,६२
ब्याज . .	६,६०	८,३६	१०,७५
नागर प्रशासन . .	४४,२४	४५,६३	३५,८०
चल मुद्रा और टकसाल . .	३६,६२	३४,७६	५५,६०
नागर निर्माण कार्य . .	२,८७	२,८७	३,००
राजस्व के अन्य स्रोत . .	३२,६३	२६,२१	४१,६३

[श्री मोरारजी देसाई]

डाक और तार—सामान्य राजस्व में शुद्ध अंशदान . .	२,३४	५,३८	४,२०
रेलें—सामान्य राजस्व में शुद्ध अंशदान .	७,०४	६,४०	५,९८
जोड़—राजस्व . .	७६७,९९	७२८,२०	७५७,५१ +२३,३५ *
व्यय			
राजस्व से प्रत्यक्ष व्यय	९४,४५	९९,६३	१०१,६५
सिंचाई .	१३	१६	१६
ऋण-व्यवस्था	४०,००	४२,०६	५७,८८
नागर प्रशासन .	२००,४४	१९७,७२	२२२,७३
चल मुद्रा और टकसाल .	८,५०	९,१४	९,८३
नागर निर्माण-कार्य और विविध सार्वजनिक सुधार-कार्य	१८,७१	१८,३२	१९,३५
पेंशनें	९,४०	९,५३	९,६३
विविध—			
विस्थापितों पर व्यय	२०,४८	२४,७५	१९,६९
अन्य व्यय .	५०,३३	५७,८१	७१,३०
राज्यों को अनुदान आदि	४७,०३	४६,९५	४९,०२
असाधारण मदें	२८,४०	१५,२१	३५,२६
रक्षा सेवाएं (शुद्ध)	२७८,१४	२६६,८७	२४२,६८
जोड़—व्यय	७९६,०१	७८८,१५	८३९,१८
कमी (—) . . .	—२८,०२	—५९,९५	—५८,३२

*बजट प्रस्तावों का प्रभाव

वित्त विधेयक, १९५९*

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये केन्द्रीय सरकार का वित्तीय प्रस्थापनाओं को कार्यान्वित करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को कार्यान्वित करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं विधेयक को पुरस्थापित** करता हूं ।

इस के पश्चात् लोक-सभा सोमवार, २ मार्च, १९५९/११ फाल्गुन, १८८० (शक) के ग्यारह बज तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

*भारत के असाधारण गजट भाग २, अनुभाग २, दिनांक २८-२-५९ में प्रकाशित ।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरस्थापित किया गया ।

दैनिक संक्षेपिका

(शनिवार, २८ फरवरी, १९५९)
(९ फाल्गुन, १८८० (शक)

विषय	**पृष्ठ**
सामान्य आय-व्ययक, १९५९-६० का उपस्थापन . . .	१८५१—७३
वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने वर्ष १९५९-६० के लिये भारत सरकार की अनुमानित आय और व्यय का विवरण उपस्थापित किया ।	
विधेयक पुरःस्थापित	१८७३
वित्त विधेयक १९५९ ।	

सोमवार, २ मार्च, १९५९/११ फाल्गुन, १८८० (शक) के लिये कार्यावलि—

१९५९-६० के आय-व्ययक (रेलवे) पर अग्रेतर सामान्य] चर्चा .